



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266331  
CG-DL-E-24092025-266331

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]  
No. 641]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

## भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

(संसद के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय)  
(कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

फा. सं. जी/20-सीएमए/ 9/ 2025.—लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उप-धारा 5ख के अनुसरण में, इंस्टीट्यूट की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त इंस्टीट्यूट के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यवाहक)  
[विज्ञापन-III/4/असा./375/2025-26]

## 66वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2024-25

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद को यह 66वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें इंस्टीट्यूट के विभागों, समितियों, क्षेत्रों और चैप्टरों की उपलब्धियों और गतिविधियों का विवरण दिया गया है।

### संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 निदेशालय और उसकी गतिविधियाँ समितियों/ बोर्डों/ प्रकोष्ठों/ निदेशालयों की गतिविधियाँ

#### ✓ अध्यक्ष का कार्यालय

अध्यक्ष का कार्यालय, इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की ओर से इंस्टीट्यूट के विभागों और बाहरी एजेंसियों के साथ विभिन्न गतिविधियों के समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन समन्वय की सुविधा के लिए अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कई कार्य किए जाते हैं। यह विभाग इंस्टीट्यूट के परिषद सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों और उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों और जॉब को भी पूरा करता है।

#### ✓ परीक्षा निदेशालय

फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जून और दिसंबर 2024 सत्र में ऑफ़लाइन केंद्र-आधारित मोड में आयोजित की गईं थी। प्रत्येक सत्र की परीक्षाएं 187 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं थी, जिनमें 3 विदेशी केंद्र भी शामिल थे। दोनों सत्रों में फाउंडेशन परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की संख्या 34,114 थी। दोनों सत्रों में इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए परीक्षार्थियों की संख्या 1,71,664 थी।

#### ✓ अध्ययन निदेशालय

यह मुख्य रूप से छात्र-संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित है और अपनी सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह छात्रों तक अधिकतम पहुंच और

सहायता सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से विभिन्न पहल करता है।

वर्तमान में यह अपनी तीन विशिष्ट शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है:

(क) शैक्षणिक

(ख) प्रशासन

(ग) प्रशिक्षण

निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित पर बल देता है:

1. छात्रों के आंकड़े
2. गुणात्मक सुधारों के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल
3. छात्रों के लिए सहायक सेवाएं
4. सामाजिक उत्तरदायित्व
5. प्रशिक्षण
6. ऑनलाइन मॉक टेस्ट

#### ✓ सदस्यता विभाग

सदस्य सुविधा समिति के मार्गदर्शन में और इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सीएमए बिभूति भूषण नायक और सदस्य सुविधा समिति के अध्यक्ष सीएमए अविजित गोस्वामी के गतिशील नेतृत्व में, सदस्यता विभाग ने – मुख्यतः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से – पूरे वर्ष अपनी सेवाओं को निरंतर उन्नत और सुव्यवस्थित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कुल 1630 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य के रूप में भर्ती किया गया था, जबकि 478 सदस्यों को फेलोशिप के लिए प्रोन्नत किया गया था।

पहले शुरू किए गए संवर्द्धनों के आधार पर, निम्नलिखित सदस्य-केंद्रित विशिष्टताओं को बनाए रखा गया है और उन्हें अधिक अनुकूलित किया गया है:

- व्यवसाय प्रमाण पत्र की बहाली
- ऑनलाइन लेनदेन शुल्कों की माफी

- जी एस टी एकीकरण
- सरलीकृत शुल्क भुगतान
- तत्काल सी ओ पी आवंटन
- प्रकाशनों के माध्यम से पारदर्शिता
- उन्नत सुरक्षा विशिष्टताएं
- व्यक्तिगत प्रमाणन
- निरंतर डिजिटल प्रगति
- क्रेडिट कार्ड सुविधाएं

#### **नया परिवर्धन:**

- वित्तीय वर्ष 2024-2025 से, सभी नए पंजीकृत सी एम ए सदस्यों को मौजूदा ऑनलाइन पहुंच के अलावा, उनके पहचान पत्र की एक भौतिक प्रति भी प्राप्त होगी। मौजूदा सदस्य आवेदन करके भौतिक पहचान पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यह वृद्धि वर्तमान डिजिटल प्रावधान में एक नया परिवर्धन है।
- इंस्टीट्यूट ने दिनांक 7 फ़रवरी, 2025 को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, इंस्टीट्यूट के सदस्य, छात्र और कर्मचारी विभिन्न बीमा उत्पादों पर रियायती प्रीमियम दरों के पात्र होंगे। इनमें स्वास्थ्य बीमा, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा, मोटर वाहन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और कार्यालय सुरक्षा कवच बीमा शामिल हैं। इस सहयोग का उद्देश्य हमारे समुदाय की भलाई और व्यावसायिक आवश्यकताओं के समर्थन हेतु व्यापक और किफ़ायती बीमा समाधान प्रदान करना है।
- ✓ **जर्नल एवं प्रकाशन निदेशालय**
  - निदेशालय नियमित आधार पर मासिक पत्रिका "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" और त्रैमासिक पत्रिका "रिसर्च बुलेटिन" प्रकाशित करता है।
  - मैनेजमेंट अकाउंटेंट पत्रिका अब दुनिया भर के 94 देशों में उपलब्ध है और दुनिया के अन्य भागों में भी इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

- मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल मैगज़्टर और रीडव्हेयर जैसे तृतीय पक्षों के माध्यम से पढ़ने के लिए ऐप्स पर उपलब्ध है और निदेशालय इसे अन्य प्लेटफार्मों, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पर भी सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहा है।
- मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए संपादकीय सलाहकार दल का गठन
- सीएमए राममोहन भावे द्वारा मूल्यांकन कोना
- सीएमए (डॉ.) गिरीश जाखोटिया द्वारा व्यावसायिक मामले
- वेबिनार और कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और उन्हें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया।
- प्रसिद्ध हस्तियों के साक्षात्कार
- "द मैनेजमेंट अकाउंटेंट" को पीडीएफ से किंडल/ फ्लिपबुक में परिवर्तित किया गया है। फ्लिपबुक का उपयोग करना आसान है, सभी उपकरणों पर प्रतिक्रियाशील है, पीडीएफ फाइलों के दृश्य स्वरूप को बेहतर बनाता है और इसमें अन्य इंटरैक्टिव विशेषताएं हैं जो पढ़ने के अनुभव को अधिक आकर्षक और आनंददायक बनाती हैं।
- बैंकों, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, बीमा कंपनियों और विभिन्न अन्य उद्योग जगत के प्रमुखों को मानार्थ प्रतियां भेजने के लिए कॉर्पोरेट डेटाबेस को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

#### ✓ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

समय के साथ, इंस्टीट्यूट ने उभरती हुई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई), मशीन लर्निंग (एमएल) और साइबर सुरक्षा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी प्रणाली बाज़ार में होने वाले बदलावों के प्रति चुस्त और उत्तरदायी बनी रहे।

- इंस्टीट्यूट में ई आर पी का कार्यान्वयन
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई)
- सदस्य ऑनलाइन प्रणाली
- ऑनलाइन छात्र पंजीकरण प्रणाली

- इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल का निर्माण
- 61वें राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखापाल सम्मेलन 2024 की वेबसाइट का डिज़ाइन, विकास और रखरखाव
- आई सी एम ए आई वेबसाइट का अमेजन ए डब्ल्यू एस पर स्थानांतरण
- बहुउद्देशीय पैनल योजना (एम ई एस) योजना
- आई सी एम ए आई चैंप्टर की वेबसाइट का नया रूप
- सी एम ए राष्ट्रीय युवा वाणिज्य ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2024
- प्रवेश पत्र और परिणाम होस्टिंग
- ऑनलाइन कार्यक्रम
- ✓ व्यवसायिक विकास एवं सी पी ई निदेशालय

#### ❖ गतिविधियां

- इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व पर सीएमए की मान्यता
- सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों के लिए प्रतिनिधित्व
- इंस्टीट्यूट के पुरस्कार
- सी ओ पी धारकों के लिए अनिवार्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण (एम सी बी टी)
- राष्ट्रीय सी एम ए प्रैक्टिशनर्स कन्वेंशन (एन सी पी सी - 2025)
- वेबिनार सीरिज
- सेमिनार और कार्यशालाएं
- सेबी परीक्षा के लिए ऑनलाइन तैयारी कक्षाएं
- सहायक निदेशक (लागत) की भर्ती के लिए ऑनलाइन तैयारी की कक्षाएं, यूपीएससी भर्ती परीक्षा
- बहुउद्देशीय पैनल योजना (एम ई एस)
- मार्गदर्शन टिप्पणी
- सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) 2024 के अंतर्गत सदस्यों के लिए दिशानिर्देश
- सतत व्यावसायिक शिक्षा (सी पी ई) कार्यक्रम

### ✓ अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

#### ❖ अंतर्राष्ट्रीय बैठकें एवं कार्यक्रम

- दक्षिण एशियाई लेखापाल फेडरेशन (साफा)
- एशियाई एवं प्रशांत लेखापाल कांफेडरेशन (सी ए पी ए) और ए एफ ए
- अंतर्राष्ट्रीय लेखापाल फेडरेशन (आई एफ ए सी)
- लागत एवं प्रबंधन लेखांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- आई ओ डी कन्वेंशन
- वेबिनार

### ✓ उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड

- उन्नत अध्ययन पाठ्यक्रम
- कार्यशाला
- ऑनलाइन परीक्षाएं

### ✓ तकनीकी विभाग

- लागत लेखा मानक बोर्ड (सी ए एस बी)
- लागत लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (सी ए ए एस बी)
- तकनीकी प्रकोष्ठ

### ✓ बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा बोर्ड

- सी एम ए को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन पत्र
- बी एफ एस आई के प्रमाण पत्र पठ्यक्रम
- वेबिनार
- भौतिक कार्यक्रम
- प्रकाशन
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आई एफ एस सी ए) के साथ समझौता ज्ञापन

- बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित बी एफ एस आई इनसाइट समिट
- 21 जून 2025 को आई सी सी द्वारा बी एफ एस आई बी, आई सी एम ए आई के सहयोग से आयोजित 17वें आई सी सी म्यूचुअल फंड समिट 2025 पर सेमिनार

✓ **सततता मानक बोर्ड**

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद ने वर्ष 2022 में सततता मानक बोर्ड (एस एस बी) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इंस्टीट्यूट के सदस्यों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (बी आर एस आर) और पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ई एस जी) अनुपालन एवं प्रकटीकरण में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना है।

एस एस बी ने वर्ष 2024-25 के लिए *वसुधैव कुटुम्बकम्* वेबिनार सीरिज के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की हैं:

1. वेबिनार
2. *सुखिनोभवन्तु* शीर्षक से मासिक समाचार पत्र
3. ई एस जी पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
4. जनवरी 2025 में सततता माह का पालन
5. आई सी एम ए आई सततता मानक
6. एस एस बी पोर्टल में ई-लाइब्रेरी
7. सततता कैलेंडर
8. *वसुधैव कुटुम्बकम्* वेबिनार सीरिज की ब्रांड छवि

✓ **प्रबंधन लेखांकन समिति**

इंस्टीट्यूट की प्रबंधन लेखांकन समिति, प्रबंधन लेखांकन के संगत विषयों पर ऐसी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन का विकास करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो कि व्यवहार, व्यवसाय और उद्योग में सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हों। समिति इंस्टीट्यूट और उसके सदस्यों के साथ-साथ प्रबंधन लेखांकन से संबंधित अन्य संगठनों के बीच संचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुगम बनाने और दुनिया भर में प्रबंधन लेखांकन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रबंधन लेखांकन दिशानिर्देश



और/ अथवा उत्तम प्रबंधन लेखांकन प्रक्रियाएं जारी करने का कार्य अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखती है।

तीन बुनियादी विशेषताएं:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन लेखांकन दिवस
- उन्नत प्रबंधन लेखांकन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा
- प्रबंधन लेखांकन पुरस्कार

#### ✓ उद्योग समिति में सदस्य

- उद्योग अंतर्दृष्टि - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बुलेटिन प्रकाशन
- "भारतीय रेलवे - नवाचार, अवसंरचना, निवेश और उद्योग साझेदारी के माध्यम से विकसित भारत की ओर यात्रा" पर 11वां पीएचडीसीसीआई ग्लोबल रेल कन्वेंशन

#### ✓ सहकारी विकास बोर्ड

बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की हैं:

- प्रतिनिधित्व पत्र
- रणनीतिक गठबंधन
- भौतिक कार्यक्रम
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वेबिनार और कार्यक्रम
- प्रकाशन
- संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के मंत्रियों और रजिस्ट्रारों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठकें।
- अनुसंधान पहल
- अन्य बैठकें और कार्यक्रम

✓ **आंतरिक नियंत्रण समिति**

**आंतरिक लेखापरीक्षा**

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर के चैप्टरों में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए समन्वय किया है और ऐसी लेखापरीक्षा के लिए कार्यक्षेत्र और आवश्यक समन्वय भी प्रदान किया है।

**खरीद प्रस्ताव**

विभाग मुख्यालय, दिल्ली कार्यालय में विभिन्न विभागों से प्राप्त विभिन्न खरीद प्रस्तावों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के खरीद प्रस्तावों की भी पुनरीक्षा कर रहा है।

✓ **क्षेत्रीय परिषद एवं चैप्टर समन्वय समिति**

सीएमए (डॉ.) के. सीएच. ए. वी. एस. एन. मूर्ति की अध्यक्षता में समिति में बारह सदस्य (अध्यक्ष और तीन सहयोजित सदस्य सहित) शामिल हैं।

**समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:**

- मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के बीच के अंतराल को पाटना
- प्रचालन क्षमता में सुधार करना
- क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों को इंस्टीट्यूट के नियमों और विनियमों के अनुपालन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना
- मामलों को सक्रिय रूप से पहचानना और परस्पर संबद्ध मामलों अथवा साझा चिंता के मामलों पर संयुक्त कार्रवाई में सुविधा प्रदान करना।

**समिति की गतिविधियां:**

- वर्ष 2024-25 में क्षेत्र-वार चैप्टरों की बैठकें करना
- मई 2025 में नेशनल चैप्टरों की बैठकें करना

✓ कैरियर परामर्श एवं प्लेसमेंट समिति

- प्री-प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कार्यक्रम (पी पी ओ पी)
- सी एम ए कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम
- करियर काउंसलिंग पहल
- राष्ट्रीय युवा वाणिज्य ओलंपियाड (एन वाई सी ओ) 2024
- सी एम ए कौशल संवर्धन प्रशिक्षण (सी-सेट) कार्यक्रम

✓ कर अनुसंधान विभाग

- कार्यशाला
- मंत्रालय एवं विभागों का प्रत्यक्ष दौरा
- सी एम ए टैक्स वालंटियर स्कीम
- बजट सेमिनार, 2025
- फिजिकल सेमिनार
- जीएसटी दिवस, 2024 की 7वीं वर्षगांठ का उत्सव
- आयकर दिवस, 2024 का आयोजन
- सी एम ए टैक्स कांक्लेव
- क्विज
- टैक्स बुलेटिन
- वेबिनार
- सरकार को अभ्यावेदन
- आयकर विधेयक पर इनपुट
- कराधान सहायता डेस्क
- कराधान पाठ्यक्रम

**अप्रत्यक्ष कराधान**

- जी एस टी पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- जी एस टी पर उन्नत प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

- कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए जी एस टी पाठ्यक्रम
- जी एस टी लेखापरीक्षा और मूल्यांकन पर उन्नत पाठ्यक्रम
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

#### **प्रत्यक्ष कराधान**

- टी डी एस पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर विवरणी भरने के संबंध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- आयकर अपील और मूल्यांकन पर उन्नत पाठ्यक्रम
- कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए आयकर पाठ्यक्रम

#### **प्रमुख समाचार**

कराधान पोर्टल के "प्रमुख समाचार" खंड को हितधारकों की जानकारी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस खंड के अंतर्गत अधिसूचनाओं, परिपत्रों, निर्णयों आदि के संबंध में अद्यतन जानकारी वास्तविक समय के आधार पर जानकारी के सार के साथ अपलोड की जा रही हैं ताकि हितधारकों को कराधान संबंधी मामलों पर अद्यतन जानकारी सुलभ हो सके।

#### **✓ पीयर रिव्यू बोर्ड**

वर्ष के दौरान, आई सी एम ए आई के पीयर रिव्यू बोर्ड (पी आर बी) की एक बैठक हुई। बोर्ड ने दिनांक 1 अगस्त 2024 से लागत लेखापालों की फर्मों को पीयर रिव्यू का कार्य सौंपना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बल्क ईमेल के माध्यम से पी यू और समीक्षकों से सहमति ली। इंस्टीट्यूट के बोर्ड ने लागत लेखापालों की उन फर्मों को 18 पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र जारी किए, जिनकी पैनलबद्ध समीक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक समीक्षा की गई।

✓ कैट (सी ए टी) निदेशालय**गतिविधियां :**

- सेवानिवृत्त होने वाले/ सेवानिवृत्त हुए रक्षा कर्मियों के लिए कैट (सी ए टी) पाठ्यक्रम
- भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का दूसरा राष्ट्रीय कैट छात्र सम्मेलन 2025 - "भविष्य के लिए तैयार लेखापाल : कल के लिए कौशलों का सशक्तीकरण"
- चैप्टरों और कैट आर ओ सी सी की बैठक
- करियर परामर्श
- नया आर ओ सी सी
- परीक्षा
- ऑनलाइन कक्षाएं

✓ पी आर

- इंस्टीट्यूट द्वारा सरकारी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध और उसका अनुवर्तन
- मीडिया प्रबंधन
- इंस्टीट्यूट की ओर से इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में अतिविशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करना
- आई सी एम ए आई का राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह - 2025, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में, दिनांक 23 जून, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित।
- सामान्य

✓ कृषि लागत एवं प्रबंधन बोर्ड

आई सी एम ए आई का कृषि लागत प्रबंधन बोर्ड (ए सी एम बी) मुख्य रूप से भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। ए सी एम बी लागत प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के

हितधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में राजस्व प्रबंधन और लागत नियंत्रण, लागत लाभ विश्लेषण, कृषि सप्लाई चेन विकास, इन्वेंट्री प्रबंधन, क्षमता निर्माण, एफ पी ओ प्रबंधन, अनुसंधान, शिक्षा, वाणिज्य और व्यवसाय में लगे सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग, कृषि वेल्थू चेन में लागत और प्रतिफल अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

- कृषि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा (डी ए सी एम) पाठ्यक्रम, आई सी एम ए आई एवं इग्नू की एक संयुक्त पहल
- शोध मोनोग्राफ और बुलेटिन का प्रकाशन
- कृषि लागत प्रबंधन बोर्ड द्वारा वेबिनार का आयोजन
- दिसंबर 2024 में किसान दिवस समारोह
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भागीदारी
- कृषि विश्वविद्यालयों के साथ संबंध बनाने के लिए पहल
- ✓ **एम एस एम ई और स्टार्टअप संवर्धन बोर्ड**
  - एम एस एम ई टिटबिट्स का प्रकाशन - एक द्विमासिक पत्रिका
  - समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) का आदान-प्रदान:
  - एम एस पी बी एक लोगो प्रायोजक और नॉलेज पार्टनर के रूप में
  - वेबिनार
  - एम एस एम ई और स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड द्वारा विभिन्न निकायों के साथ आयोजित कार्यक्रम
  - जून 2025 में एम एस एम ई माह का उत्सव
  - जून 2025 में एम एस एम ई माह के उत्सव के लिए एम एस पी बी के सहयोग से चैप्टर और अन्य निकायों द्वारा सेमिनार का आयोजन
- ✓ **ए आई**
  - आई सी एम ए आई ने लागत एवं प्रबंधन लेखांकन के क्षेत्र में ए आई का उपयोग करने के लिए रणनीति एवं क्षमता निर्माण हेतु ए आई पर एक अलग समिति का गठन किया है।

- आई सी एम ए आई ने अपने सदस्यों, छात्रों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच क्षमता निर्माण के लिए ए आई पर एक 5-दिवसीय पाठ्यक्रम शुरू किया है।
- उद्योग और व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ए आई आधारित सी एम ए-जी पी टी का शुभारंभ किया।
- आई सी एम ए आई छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करने और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए ए आई आधारित उपकरणों का विकास करने की प्रक्रिया में भी है।
- आई सी एम ए आई वित्त, लागत निर्धारण, प्रबंधन लेखांकन, कराधान आदि के क्षेत्र में ए आई अवसंरचना के निर्माण के संदर्भ में व्यवसायों की अपेक्षाओं को समझने के लिए उनके साथ जुड़ रहा है।
- ✓ **आंतरिक लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड**
  - क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन नोट्स का विकास
  - आंतरिक लेखापरीक्षा पर वेबिनार
  - भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) के साथ सहभागिता
  - “ए आई में सी एम ए और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए व्यावसायिक अवसर” पर सेमिनार
  - एन आई एस एम प्रमाणन हेतु सेबी की ज्ञान/ सामग्री समिति में प्रतिनिधित्व
  - वैश्विक मान्यता की प्राप्ति
- ✓ **विजन 2047 के लिए रणनीति और योजना पर टास्क फोर्स**

जून 2024 में, आई आई एम अहमदाबाद ने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और सी एम ए व्यवसाय के संचालन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु एक परियोजना शुरू की, ताकि आई सी एम ए आई को एक वैश्विक स्तर पर मानकीकृत, भविष्य के लिए तैयार पेशेवर निकाय के रूप में स्थापित किया जा सके, जो ऐसे मूल्य वास्तुकारों और वित्त पेशेवरों को तैयार करे जो स्थायी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए लागत नेतृत्व, रणनीति, विश्लेषण, प्रौद्योगिकी और नैतिकता को एकीकृत करते हैं। पिछले 15 माह में, आई आई एम अहमदाबाद की टीम ने एक व्यापक डेटा संग्रह और हितधारक परामर्श प्रक्रिया संचालित की है, जिसके आधार पर वे आई सी एम ए आई @ 2047 के लिए रणनीति और दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- पाठ्यक्रम पुनर्संरचना
- हितधारक-केंद्रित शासन
- प्रौद्योगिकीय प्रवाह
- उद्योग एकीकरण
- ब्रांड प्रबंधन

आई आई एम अहमदाबाद टीम द्वारा निम्नलिखित डेटा संग्रहण चरण अपनाए गए थे:

- द्वितीयक अनुसंधान एवं बेंचमार्किंग
- सर्वेक्षण परिनियोजन
- हितधारक कार्यशालाएं
- निदान कार्यशालाएं
- फ्रेमवर्क विकास

**अगले चरण:**

- ब्लूप्रिंट एकीकरण
- अंतरिम निष्कर्ष
- कार्यान्वयन रोडमैप



## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद  
 वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

### योग्य मत

हमने भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य मत के लिए आधार खंड में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, सभी पूर्ण रूप से तैयार किए गए संलग्न वित्तीय विवरणों, दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार इंस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति, उसके वित्तीय कार्य निष्पादन और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) द्वारा किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार उसके नकदी प्रवाह के लिए एक सही और पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

### योग्य मत के लिए आधार

1. इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को मुख्यालय - दिल्ली, कोलकाता कार्यालय, चार क्षेत्रीय काउंसिल और एक सौ नौ चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।  
 इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों में सात चैप्टरों के वित्तीय विवरण समेकन के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
2. 'क्षेत्रीय परिषद और चैप्टरों के चालू खाते' के अंतर्गत वर्गीकृत ₹ 2,67,53,700/- करोड़ (विगत वर्ष - ₹ 2,29,43,332/- करोड़) की असंगत शुद्ध जमा शेष राशि है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 5 देखें।

उपरोक्त योग्यताओं के वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एस ए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण आगे हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियां" खंड में दिया गया है। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम इंस्टीट्यूट से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारे योग्य मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

### मामले का बल

हम निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

#### 1. मुख्यालय के संबंध में:

- क) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 2(ज), जिसमें यह वर्णित है कि बेलापुर स्थित नवी मुंबई सेंटर एक्सीलेंस भवन के संबंध में सीडब्ल्यू आई पी को दर्शाने वाले मुख्यालय के खातों में ₹ 4,99,78,350/- की राशि रखी हुई है, जिसके लिए विगत 6 वर्षों के दौरान आगे कोई कार्य नहीं किया गया है।

#### 2. पश्चिमी भारत क्षेत्र परिषद (डब्ल्यूआईआरसी) के संबंध में:

- क) लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 4 (क), जिसमें यह वर्णित है कि ₹67,30,000/- के प्राप्य दावे और ₹ 15,69,507/- के आस्थगित व्यय मुकदमेबाजी के अंतर्गत हैं। ₹ 67,30,000/ का दावा सस्पेंस - एफडीएपीएल और व्यय के लिए प्रावधान (आस्थगित व्यय सहित) विवाद का अंतिम निपटान होने तक समान राशि को दर्शाते हैं।

#### 3. व्यापारिक प्राप्य, व्यापारिक देय, ऋण और अग्रिम आदि की वर्ष के अंत की शेष राशि की पुष्टि पक्षकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियां

इंस्टीट्यूट का प्रबंधन लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए ज़िम्मेदार है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए भी ज़िम्मेदार है, जिसे प्रबंधन आवश्यक समझे ताकि ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार किया जा सके, जो धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हों।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन इंस्टीट्यूट की एक लाभकारी संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों को यथा लागू प्रकट करने तथा लाभकारी संस्था का लेखांकन के आधार पर तब तक उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इंस्टीट्यूट का परिसमापन करने अथवा उसका प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य तर्कसंगत विकल्प न हो।

प्रबंधन इंस्टीट्यूट की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए ज़िम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें कि हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, यदि कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी मौजूद हो, तो उसका पता लगा लेती है। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा चूक से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखांकन संबंधी मानदंडों (एस ए) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय प्रदान करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

1. वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण से हो, ऐसे जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करते हैं और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम चूक से उत्पन्न होने वाली गलत बयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।
2. लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिज़ाइन की जा सकें जो उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं हों।
3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
4. प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए लाभकारी संस्था के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिससे इंस्टीट्यूट की लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपना मत संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं।

तथापि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण इंस्टीट्यूट लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

5. प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उपयुक्त जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं:

- i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और
- ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

### अन्य मामले

1. (क) हमने चार क्षेत्रीय परिषदों और एक सौ नौ चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी, जिनके वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, कुल संपत्ति ₹ 2,61,04,65,777/- और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 59,10,74,242/- दर्शाया गया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में दिया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के विनियम 133 और इंस्टीट्यूट के चैप्टर उप नियमों के क्लॉज 26 के अनुसार

चैप्टर के शासी निकायों द्वारा नियुक्त लागत लेखापालों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन उपरोक्त परिषदों और चैप्टरों के संबंध में शामिल धनराशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, यह केवल क्रमशः अन्य लेखापरीक्षकों और लागत लेखापालों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) इंस्टीट्यूट के वर्ष के वित्तीय विवरणों में सात चैप्टरों के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, क्योंकि इन चैप्टरों से कोई वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत और नीचे दी गई अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों एवं लागत लेखापालों की रिपोर्टों, जैसा भी मामला हो तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

2. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई ₹ 36,35,000/- की राशि अभी भी "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत "पुणे भवन के लिए अग्रिम" के रूप में पड़ी हुई है और इसे "पूँजी अनुदान" के रूप में नहीं माना जा रहा है।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रयुक्त रखी गई ₹ 2,15,19,024/- की जीएसटी इनपुट की राशि को आय और व्यय खाते में डाला गया है।
4. देयताओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में वर्ष के दौरान ₹ 50,50,000/- की राशि पुरांकित कर दी गई है, जिन्हें अब देय नहीं माना जाता है। वर्ष के आय-व्यय विवरण में इस पुरांकित राशि को "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी गई है।
5. वर्ष के दौरान विविध लेनदार शेष राशि के संबंध में ₹ 43,24,383/- की राशि पुरांकित की गई है, जो काफी समय से लेखा बहियों में बकाया थी और अब प्रबंधन द्वारा देय नहीं मानी गई हैं।
6. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ट्रस्ट) से संबंधित निवेशों के मूल्य में कमी और घाटे के कारण लेखा पुस्तकों में ₹ 78,66,556/- की राशि दर्शाई गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रस्ट के लेखा परीक्षित खातों पर आधारित है।

**अन्य नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) उपरोक्त योग्य मत के लिए आधार पैरा में उल्लिखित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमने ऐसी समस्त सूचना और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- ख) उपरोक्त योग्य मत के लिए आधार पैरा में उल्लिखित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारे मत में, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 के अनुसार, इंस्टीट्यूट द्वारा लेखा-बहियों का उपयुक्त रखरखाव किया गया है, जहां तक उन लेखा बहियों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त विवरणियां क्षेत्रों और चैप्टरों से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें 'अन्य मामले' के पैरा 1 के साथ पढ़ा जाए;
- ग) इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट, जो संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के अन्य लेखा परीक्षकों और लागत लेखापालों द्वारा लेखा परीक्षित की गई हैं, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ है, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उचित रूप से विचार किया गया है।
- घ) इस रिपोर्ट में शामिल इंस्टीट्यूट का तुलन पत्र, आय-व्यय का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा बहियों से मेल खाता है।

**कृते केजीआरएस एंड कंपनी**

**चार्टर्ड अकाउंटेंट**

**फर्म पंजीकरण संख्या 310014 ई**

**अंशु अग्रवाल**

**भागीदार**

**सदस्यता संख्या 308581**

**यूडीआईएन: 25308581बीएमएनवीटीओ1495**

**स्थान : कोलकाता**

**दिनांक : 21 जुलाई, 2025**

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान				
दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र				
31 मार्च 2024 की स्थिति	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2025 की स्थिति	
₹			₹	₹
	<u>निधियों के स्रोत</u>			
	<u>इंस्टीट्यूट की निधि</u>			
4,900,868,551	सामान्य निधि	(1)		5,475,356,119
2,242,028	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		2,608,441
13,325,226	विविध पुरस्कार निधि	(3)		13,691,273
19,342,262	अन्य निधि	(4)		14,376,255
444,928,588	वर्तमान देयताएं	(5)		411,447,379
15,590,847	प्रावधान	(6)		16,290,930
<b>5,396,297,502</b>	<b>कुल</b>			<b>5,933,770,397</b>
	<u>निधियों का उपयोग</u>			
	<u>गैर-चालू परिसंपत्तियां</u>			
699,110,042	क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(7)	811,960,380	811,960,380
446,370	ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	(7)	1,507,338	1,507,338
88,089,199	पूँजीगत कार्य प्रगति पर			101,935,921
111,151,147	निवेश	(8)		111,151,147
	<u>चालू परिसंपत्तियां</u>			
9,252,542	वस्तुसूचियां	(9)	6,483,285	
233,444,286	व्यापार प्राप्त्य	(10)	235,957,801	
4,189,698,434	नकदी और नकदी समान	(11)	4,586,765,809	
65,105,481	ऋण और अग्रिम	(12)	78,008,717	
				4,907,215,611
<b>4,497,500,743</b>				
<b>5,396,297,502</b>	<b>कुल</b>			<b>5,933,770,397</b>
	<b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां</b>	<b>(20)</b>		
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।				
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र है। .				
कृते केजीआरएस एंड कंपनी				
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स				
फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई	सीएमए सोमा बनर्जी	सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी		
	अपर निदेशक - वित्त	सचिव (कार्यवाहक)		
अंशु अग्रवाल				
भागीदार	सीएमए टीसीए श्रीनिवासा प्रसाद	सीएमए बिभूति भूषण नायक		
सदस्यता सं. : 308581	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष		
स्थान :				
तारीख :				



भारतीय लागत लेखाकार संस्थान			
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण			
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	टिप्पणी	दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
₹			₹
	आय :		
55,345,089	सदस्यता और अन्य शुल्क	(13)	55,273,247
1,304,622,758	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	(14)	1,305,031,668
341,082,187	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	(15)	356,856,736
25,652,453	सी पी डी. और अन्य कार्यक्रम शुल्क		65,417,523
467,702	विज्ञापन सहित पत्रिका का अंशदान		392,900
820,546	प्रकाशन की बिक्री		736,225
259,317,463	व्याज		310,758,776
10,315,948	अन्य आय		21,180,174
-	धारा 80जी के तहत प्राप्त दान		627,112
<b>1,997,624,146</b>	<b>कुल</b>		<b>2,116,274,361</b>
	व्यय :		
383,233,281	स्थापना व्यय	(16)	388,786,116
198,581,521	कार्यालय व्यय	(17)	216,930,807
2,391,310	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		2,535,978
14,419,768	यात्रा एवं वाहन		18,730,780
239,833,167	परीक्षा व्यय	(18)	292,217,296
36,960,095	परिषद और समिति बैठक व्यय		61,719,772
20,192,488	ट्रिब्यूनल सहित चुनाव का व्यय		12,060
19,992,191	पत्रिका व्यय		14,856,580
11,874,750	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		13,558,177
4,212,601	अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं बैठकें		5,486,277
44,254,997	सी पी डी तकनीकी कौशल विकास और अन्य कार्यक्रम व्यय	(19)	79,423,747
12,040,446	व्यावसायिक विकास व्यय		23,662,916
340,995,397	कोचिंग व्यय		286,569,506
73,218,780	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणियों की खपत		55,313,475
2,907,718	प्रकाशन स्टॉक की खपत		1,448,926
4,474,977	वस्तु सूची और अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना		1,371,854
13,327,552	एम बी एफ में भागीदारी और गंभीर बीमारी		22,332,410
50,341,405	मूल्यहास और परिशोधन	(7)	55,669,392
<b>1,473,252,444</b>	<b>कुल</b>		<b>1,540,626,069</b>
<b>524,371,702</b>	<b>व्यय से अधिक आय होने के कारण शेष</b>		<b>575,648,292</b>
(135,754,171)	अवधि पूर्व समायोजन (निबल)		4,236,128
<b>660,125,873</b>	<b>अधिक्य शेष होने के कारण सामान्य निधि में अंतरित</b>		<b>571,412,164</b>
	<b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां</b>	<b>(20)</b>	
संलग्न टिप्पणियां 1-20 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।			
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित आय और व्यय का विवरण है।			
कृते केजीआरएस एंड कंपनी			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई	सीएमए सोमा बनर्जी	सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी	
	अपर निदेशक - वित्त	सचिव (कार्यवाहक)	
अंशु अग्रवाल			
भागीदार	सीएमए टीसीए श्रीनिवासा प्रसाद	सीएमए बिभूति भूषण नायक	
सदस्यता सं. : 308581	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	
स्थान :			
तारीख :			

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान			
दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण			
दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
₹		₹	₹
	<b>क. प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
660,125,873	कराधान से पूर्व सरप्लस और असाधारण मद	571,412,164	
	<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन :-</b>		
50,341,405	मूल्यहास एवं परिशोधन	55,669,392	
<b>710,467,278</b>	<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनीय सरप्लस</b>	<b>627,081,556</b>	
	<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के लिए समायोजन</b>		
(335,168,869)	चालू देयताओं में वृद्धि /कमी)	(32,781,127)	
(72,440,716)	चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(12,647,493)	
<b>(407,609,585)</b>		<b>(45,428,620)</b>	
<b>302,857,693</b>	<b>प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)</b>		<b>581,652,935</b>
	<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
(16,316,620)	सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में परिवर्तन	(127,758,027)	
	निवेश में कमी		
<b>(16,316,620)</b>	<b>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)</b>		<b>(127,758,027)</b>
	<b>ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
(74,260,088)	निधि शेष में परिवर्तन	(56,827,534)	
<b>(74,260,088)</b>	<b>वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी (ग)</b>		<b>(56,827,534)</b>
<b>212,280,985</b>	<b>नकदी और नकदी समान में निवल वृद्धि /(कमी) (क +ख +ग)</b>		<b>397,067,374</b>
3,977,417,448	जोड़ें- अवधि के शुरु में नकदी और नकदी समान		4,189,698,434
<b>4,189,698,434</b>	<b>अवधि के अंत में नकदी और नकदी समान</b>		<b>4,586,765,809</b>
<b>टिप्पणी :-</b>			
i. उपरोक्त नकदी प्रवाह का विवरण "नकदी प्रवाह विवरण" के संबंध में लेखांकन मानक, ए एस -3 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के तहत तैयार किया गया है।			
ii. नकदी और नकदी समान में शामिल हैं:			
941,070	हाथ में नकदी	1,032,735	
245,795,614	बैंक शेष – चालू खाता	132,102,457	
88,808,664	बैंक शेष – बचत खाता	150,599,421	
3,854,153,087	सावधि जमा	4,303,031,195	
<b>4,189,698,434</b>		<b>4,586,765,809</b>	
यह इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित नकदी प्रवाह का विवरण है।			
कृते केजीआरएस एंड कंपनी			
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
फर्म पंजीकरण सं. : 310014ई	सीएमए सोमा बनर्जी	सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी	
	अपर निदेशक – वित्त	सचिव (कार्यवाहक)	
अंशु अग्रवाल			
भागीदार	सीएमए टीसीए श्रीनिवासा प्रसाद	सीएमए बिभूति भूषण नायक	
सदस्यता सं. : 308581	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	
स्थान :			
तारीख :			

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

**टिप्पणी सं.1 :**  
**सामान्य निधि**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
4,233,909,019	विगत लेखाओं के अनुसार शेष	4,900,868,551
	जोड़ें	
73,320,604	i) चैप्टर के भवन का पूंजीकरण	-
-	ii) चैप्टर की भूमि का पूंजीकरण – बड़ोदा	25,489,388
-	iii) चैप्टर की भूमि का पूंजीकरण – कोयंबटूर	40,210,004
4,243,819	iv) पूंजीकरण- विंध्यनगर चैप्टर का स्थानांतरण	-
4,311,473,442		4,966,567,943
4,311,473,442		4,966,567,943
73,320,604	घटाएं- चैप्टर के भवन/ भूमि के लिए समायोजन	65,699,392
2,589,840	जोड़ें : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	3,075,404
4,240,742,678		4,903,943,955
660,125,873	जोड़ें : आय और व्यय विवरण के अनुसार वर्ष के लिए सरप्लस	571,412,164
4,900,868,551		5,475,356,119

**टिप्पणी सं. 2:**  
**कर्मचारी उपदान निधि**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
2,239,482	विगत लेखे के अनुसार शेष	2,242,028
(38,942)	जोड़ें : वर्ष के लिए अंशदान	91,968
2,200,540		2,333,996
41,488	जोड़ें : वर्ष के दौरान सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	57,675
	घटाएं : वर्ष के दौरान उपदान निधि को अंतरित	(216,770)
2,242,028		2,608,441

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी) टिप्पणी सं. 3: विविध पुरस्कार निधि		
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
12,880,698	विगत तुलन पत्र के अनुसार शेष	13,325,226
228,121	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-
405,438	जोड़ें: वर्ष के दौरान आय	587,580
(189,031)	घटाएं: पुरस्कार की लागत	(221,533)
13,325,226		13,691,273
टिप्पणी सं. 4: अन्य निधि		
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
2,213,979	भवन निधि	2,831,522
4,577,251	पुस्तकालय निधि	4,597,251
12,551,032	विविध निधि	6,947,482
19,342,262		14,376,255

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)		
<b>टिप्पणी सं. 5:</b> <b>चालू देयताएं</b>		
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
1,172,900	पुस्तकालय जमा	1,178,600
173,194,354	व्यापार देय	120,905,318
22,943,332	क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास चालू खाता	26,753,700
221,457,656	अन्य देयताएं	242,171,251
12,720,169	हितकारी निधि के सदस्यादस्यों को देय	1,341,327
13,440,177	टी डी एस देय	19,097,183
<b>444,928,588</b>		<b>411,447,379</b>
<b>टिप्पणी सं. 6:</b> <b>प्रावधान</b>		
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
15,590,847	प्रावधान	16,290,930
<b>15,590,847</b>		<b>16,290,930</b>

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर एवं अमूर्त परिसंपत्तियां

[illegible]

लिफ्ट	17,251,331	3,599,000		20,850,331	11,524,063	1,262,430		12,786,493	8,063,838	5,727,268
मोटर कार	4,137,092		(34,131)	4,102,961	1,229,476	436,142		1,665,618	2,437,343	2,907,616
कंप्यूटर	75,117,882	15,321,447	(31,089)	90,408,240	64,770,736	7,334,142	78,909	72,183,787	18,224,453	10,347,146
साइकल	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
कुल क	1,430,458,787	168,505,866	(1,746,289)	1,597,218,364	731,348,745	55,155,381	(1,246,141)	785,257,984	811,960,380	699,110,042
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां:										
साफ्टवेयर	42,407,076	1,539,991	(21,757)	43,925,310	41,960,706	514,011	(56,745)	42,417,972	1,507,338	446,370
कुल ख	42,407,076	1,539,991	(21,757)	43,925,310	41,960,706	514,011	(56,745)	42,417,972	1,507,338	446,370
सकल योग	1,472,865,863	170,045,857	(1,768,046)	1,641,143,674	773,309,451	55,669,392	(1,302,886)	827,675,956	813,467,718	699,56,412
विगत वर्ष	1,351,914,541	121,600,858	(649,536)	1,472,865,863	732,435,269	50,341,405	(9,467,223)	773,309,451	699,556,412	
पूँजीगत - कार्य प्रगति पर	88,089,199	13,846,722		101,935,921				101,935,921		88,089,199

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. 8

अनकोटेड निवेश (लागत पर)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	निम्नलिखित में 10/- प्रत्येक के 50 (विगत वर्ष 50) शेयर :	500
	रोहित चैम्बर्स प्रीमिसिस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई (विगत में जय वृंदावन प्रीमिसिस ट्रस्ट फंड, बॉम्बे)	
110,000,000	इंसोल्वेंसी एजेंसी ऑफ आईसीएआई में निवेश	110,000,000
	10 रु प्रत्येक के 1,10,00,000 (विगत वर्ष 1,10,00,000 की संख्या में) चुकता शेयर)	
1,100,000	आईसीएमए - पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश 1,10,000 (विगत में 1,10,000)	1,100,000
50,647	- अन्य	50,647
111,151,147		111,151,147

टिप्पणी सं. 9:

वस्तुसूचियां

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार ₹	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹
2,443,686	- प्रकाशन स्टॉक	1,556,354
5,150,411	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री	3,184,089
1,658,445	- अन्य सामग्रियों का स्टॉक	1,742,842
9,252,542		6,483,285



भारतीय लागत लेखाकार संस्थान  
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 10:

व्यापार और अन्य प्राप्त्य  
(अनकोटेड, अच्छे समझे गए)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
30,447,801	व्यापार प्राप्त्य	39,766,530
202,996,485	अन्य प्राप्त्य	196,191,271
<b>233,444,286</b>		<b>235,957,801</b>

टिप्पणी सं. 11:

नकदी और नकदी समान

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
	नकदी और नकदी समान :	
941,070	हाथ में नकदी	1,032,735
	<u>अनुसूचित बैंकों में शेष :</u>	
245,795,614	चालू खाते में	132,102,457
88,808,664	बचत खाते में	150,599,421
3,854,153,087	बैंकों में सावधि जमा	4,303,031,195
<b>4,189,698,434</b>		<b>4,586,765,809</b>

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान  
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 12:  
ऋण और अग्रिम  
(अप्रतिभूतित, अच्छे समझे गए)

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
25,209,147	अन्य अग्रिम	20,394,852
560,261	कर्मचारियों को त्योंहार अग्रिम	775,238
22,824,667	टी डी एस प्राप्य	35,389,396
11,272,900	प्रीपेड व्यय	11,977,346
5,238,506	जमा	9,471,885
<b>65,105,481</b>		<b>78,008,717</b>

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

**टिप्पणी सं.13 :****सदस्यता और अन्य शुल्क :**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
39,849,596	वार्षिक सदस्यता शुल्क	44,926,346
9,053,240	सदस्यों के पेशे का प्रमाण पत्र शुल्क	9,230,956
4,212,400	प्रमाणित सुविधा केंद्र शुल्क	-
917,130	सदस्यों की शिकायत/ बहाली शुल्क/ नामांकन शुल्क	144,996
519,050	नामांकन शुल्क	164,445
635,273	सदस्यता एवं प्रमाण पत्र शुल्क – आईएमए (यूएसए)	698,074
158,400	बेहतर स्थिति का प्रमाण पत्र	108,430
<b>55,345,089</b>		<b>55,273,247</b>

**टिप्पणी सं.14 :****शिक्षण और अन्य शुल्क :**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
23,330,224	छात्र पंजीकरण शुल्क	25,221,666
12,660,000	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	18,180,000
9,015,500	प्रायोगिक प्रशिक्षण / विषय छूट शुल्क	18,959,500
1,172,483,882	शिक्षण शुल्क	1,152,049,644
63,638,312	कैट पाठ्यक्रम आय	68,924,962
3,403,149	कोचिंग पूरी करने के प्रमाण पत्र की पुनः वैधता का शुल्क	2,616,376
2,384,043	विवरणिका की बिक्री	1,177,075
17,707,648	अध्ययन नोट्स की बिक्री	17,902,445
<b>1,304,622,758</b>		<b>1,305,031,668</b>

**टिप्पणी सं. 15 :****परीक्षा और अन्य शुल्क :**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
333,644,279	परीक्षा शुल्क	350,221,255
7,437,908	उत्तर पुस्तिका के सत्यापन का शुल्क	6,635,481
<b>341,082,187</b>		<b>356,856,736</b>

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

**टिप्पणी सं.16 :**

**स्थापना व्यय**

<b>31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>विवरण</b>	<b>31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार</b>
₹		₹
317,093,684	वेतन एवं भत्ते	327,310,610
9,861,775	कर्मचारी उपदान निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	8,347,985
28,156,708	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	28,170,719
11,674	कर्मचारी हितकारी निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	13,392
11,138,425	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण के लिए नियोक्ता का अंशदान	6,508,053
2,615,582	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण – वर्तमान	3,468,563
8,907,614	विकित्सा व्यय	10,523,136
3,021,144	कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा भत्ता	1,667,263
1,579,879	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आआई निरीक्षण प्रभार .	1,424,191
846,796	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	1,352,204
<b>383,233,281</b>		<b>388,786,116</b>

भारतीय लागत लेखाकार संस्थान  
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. 17 :

कार्यालय व्यय

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
7,317,924	मुद्रण एवं लखन सामग्री	9,280,142
9,837,384	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	8,747,518
1,895,300	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,645,250
13,201,224	विद्युत प्रभार	14,087,453
307,518	जनरेटर व्यय	513,090
3,260,076	दरे एवं कर	2,924,836
352,016	बीमा	389,320
10,747,121	मरम्मत और रखरखाव	13,806,454
1,454,718	कार व्यय	1,822,078
7,820	जमानती जमा राशि पर ब्याज	7,820
5,864,645	विधिक प्रभार	4,642,621
861,575	बैंक प्रभार	362,694
6,868,394	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	7,165,050
4,477,108	जन संपर्क व्यय	4,629,484
3,994,408	देख रेख संबंधी व्यय	5,971,882
520,003	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	395,421
236,550	प्रतिनिधि शुल्क	798,554
289,630	राजपत्र अधिसूचना	178,000
3,602,231	कर्मचारी कल्याण	4,230,750
9,168,657	किराया	9,680,741
104,452,397	प्रशासनिक व्यय	112,882,425
9,864,821	विविध व्यय	11,769,225
<b>198,581,521</b>		<b>216,930,807</b>

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

**टिप्पणी सं.18 :**

**परीक्षा व्यय**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
91,892,216	परीक्षा व्यय	85,548,473
85,899,927	परीक्षक का पारिश्रमिक	119,662,586
60,537,005	परीक्षा केंद्र व्यय	84,756,171
14,250	मौखिक कोचिंग छात्रों के लिए परीक्षा व्यय	1,804
1,489,769	पुरस्कार एवं पुरस्कार वितरण व्यय	2,248,262
<b>239,833,167</b>		<b>292,217,296</b>

**टिप्पणी सं.19 :**

**सी पी डी कार्यक्रम व्यय और तकनीकी कौशल**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
₹		₹
10,861,046	सी पी डी व्यय	19,497,162
99,308	श्रेष्ठ चैप्टर पुरस्कार सहित राष्ट्रीय परस्कार	104,232
5,790,327	क्षेत्रीय लागत/ राष्ट्रीय सम्मलेन व्यय	16,083,827
24,184,386	सी पी डी व्यय – आर सी / चैप्टर	38,107,113
3,319,930	तकनीकी कौशल विकास	5,631,413
<b>44,254,997</b>		<b>79,423,747</b>

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान****वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. - 20

**क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां****वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आधार**

वित्तीय विवरणों को यथासंशोधित लागत एवं लेखापाल अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के अनुसार तथा जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, प्राप्ति के आधार पर, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किया जाता है।

**समेकन का आधार**

दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, इसकी क्षेत्रीय परिषदों और चैंप्टरों के वित्तीय विवरणों को सभी महत्वपूर्ण इंट्रा-ग्रुप शेषों, इंट्रा-ग्रुप लेन-देनों और परिणामी अप्राप्त सरप्लस/ (घाटे) को निकालने के बाद, परिसंपत्तियों और देयताओं की समान मदों, आय और व्यय को जोड़कर, पंक्ति दर पंक्ति समेकित किया जाता है। अपेक्षा के अनुसार, आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

**अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के लिए सूचित की गई परिसंपत्तियों और देयताओं तथा सूचित की गई आय और व्यय की राशियों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणामों की जानकारी होती है/ कार्यान्वित होते हैं।

**राजस्व मान्यता****(क) सदस्यों से प्रवेश शुल्क**

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्कों को सामान्य निधि में जमा किया जाता है।

**(ख) छात्र पंजीकरण शुल्क**

छात्रों से प्राप्त पंजीकरण शुल्कों को छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त होने पर राजस्व आय के रूप में मान्य किया जाता है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

**(ग) वार्षिक सदस्यता शुल्क**

वार्षिक सदस्यता शुल्कों को उस वर्ष में मान्य किया जाता है, जिस वर्ष से वे संबंधित हैं और जब अग्रिम को छोड़कर, भुगतान प्राप्त हो जाता है।

**(घ) शिक्षण शुल्क**

छात्र का पंजीकरण होने और भुगतान प्राप्त हो जाने पर पोस्टल और मौखिक शिक्षण शुल्कों के संबंध में राजस्व को मान्य किया जाता है।

**(ङ) प्रकाशनों की बिक्री**

किसी प्रकाशनों को एक निश्चित मूल्य पर उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है, तो प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्य किया जाता है।

**(च) परीक्षा शुल्क**

परीक्षा शुल्कों को उस संगत अवधि (अवधियों) के लिए मान्य किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं।

**(छ) कार्यक्रम शुल्क**

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है, जब ऐसी कोई गतिविधि की जाती है।

**(ज) ब्याज**

बैंकों के पास सावधि जमाओं के संबंध में ब्याज आय को अर्जित राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है।

**(झ) निवेश आय**

निवेश से प्राप्त आय को तब मान्य किया जाता है, जब उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है।

**व्यय**

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, पोस्टल और मौखिक प्रशिक्षण से संबंधित व्यय सहित व्यय को अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है:

(क) चैप्टरों के लिए वार्षिक अनुदानों को दावों के आधार पर अर्जित आधार पर मान्य किया जाता है।



**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

- (ख) चुनाव व्यय उस वित्तीय वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

**संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को, लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने से संबंधित कोई अन्य लागत शामिल होती है।

**अमूर्त परिसंपत्तियां**

अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसकी लागत में से संचित परिशोधन और निवल क्षति, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

**पूँजीगत कार्य प्रगति पर**

ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया गया व्यय, जो अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उसे 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' के अंतर्गत लागत में से हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

**मूल्यहास/ परिशोधन**

- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास/ परिशोधन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।
- (ख) पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाता है। पट्टे पर दी गई भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि का किराया, यदि कोई हो, उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिसके लिए ऐसे शुल्क देय अथवा देय होते हैं।
- (ग) पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए, जिस वर्ष में इनकी खरीद की गई है, उस वर्ष में 40% की दर से मूल्यहास किया जाता है।

**निवेश**

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है। तथापि, जब दीर्घकालिक निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्य करने के लिए निहित राशि को कम कर दिया जाता है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

**वस्तुसूची**

प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और प्रॉस्पेक्टस स्टॉक सहित पेपर स्टॉक आदि का मूल्यांकन लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है और पेपर की लागत पहले आओ, पहले पाओ (एफ आई एफ ओ) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

**प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां**

(क) किसी प्रावधान को तब मान्य किया जाता है:

- i. जब विगत आयोजन के कारण वर्तमान बाध्यता हो;
- ii. जब यह सम्भावना हो कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी; और
- iii. जब बाध्यता की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है:

- i. ऐसी कोई भी संभावित बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी, जो कि इंस्टीट्यूट के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं;
- ii. कोई भी वर्तमान बाध्यता, जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुई हो, लेकिन मान्य नहीं हो, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह आवश्यक होगा या बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और बाध्यता के केवल उस भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ के संसाधनों का प्रवाह संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**  
**टिप्पणी सं. – 20**

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्य नहीं किया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

### **विदेशी मुद्रा में लेन-देन**

विदेशी मुद्रा में लेन-देन, लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किए जाते हैं। मौद्रिक मदों की सूचना, तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित समापन दर का उपयोग करके की जाती है। आरंभ में दर्ज/ सूचित की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतर को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में आय/ व्यय के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

### **कर्मचारी लाभ**

#### **(क) अल्प कालिक लाभ**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जब उस अवधि के दौरान दावा किया गया हो। दावा न की गई राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

#### **(ख) रोजगार उपरांत के लाभ**

भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि जैसे रोजगार उपरांत के लाभ, मुख्यालय और दिल्ली कार्यालय तथा केंद्रीय शिक्षा संस्थानों (सीओई) के लिए लागू किए गए हैं।

### **परिसंपत्तियों की क्षति**

प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों के निहित मूल्य की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इन परिसंपत्तियों की निहित राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो क्षति को मान्य किया जाता है।

### **आय पर कर**

इंस्टीट्यूट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ धारा 12क के अंतर्गत आयकर से छूट प्रदान की गई है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

**अवधि पूर्व आय/ व्यय**

एक या अधिक पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होने वाली अवधि पूर्व की मदों को आय और व्यय विवरण में अलग से प्रकट किया जाता है।

**जी एस टी अप्रयुक्त शेष बट्टे खाते डालना**

दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त रहे जी एस टी इनपुट क्रेडिट की शेष राशि को आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

## भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

## वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. - 20

**ख. लेखाओं की टिप्पणियां****1. समेकन का आधार**

इंस्टीट्यूट के समेकित वित्तीय विवरणों को दिल्ली मुख्यालय, कोलकाता कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और एक सौ नौ चैप्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जबलपुर, कच्छ-गांधीधाम, सिंगरौली, चंद्रपुरा, जाजपुर-क्योंझर, राजपुर और वारंगल नामक सात चैप्टरों के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण, चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किए गए हैं। तथापि, समेकित वित्तीय विवरणों में इन चैप्टरों के विगत वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं भी उपलब्ध हों, शामिल हैं।

**2. मुख्यालय के संबंध में:**

क) आकस्मिक देयता (जिसका प्रावधान नहीं किया गया है)

i) वित्त अधिनियम, 1994 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार, ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) की सेवा कर की मांग के साथ ₹ 5,01,68,756/- (विगत वर्ष में ₹ 5,01,68,756/-) का लागू ब्याज दंड भी देय है, जिसके लिए ₹ 37,62,657/- (विगत वर्ष में ₹ 37,62,657/-) की राशि, जो मांग का 7.5% है, का भुगतान किया जा चुका है और उसे "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। इंस्टीट्यूट ने मांग के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

ii) नीति के अनुसार, कर्मचारियों को बिल जमा करने पर, नीति में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। नीति की शर्तों के अनुसार, प्रयोग न की गई शेष राशि को 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित किया जा सकता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में, प्रयोग न की गई शेष राशि ₹ 2,748,333/- (विगत वर्ष में ₹ 28,61,868/-) है।

ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 12क के अंतर्गत आयकर से छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान  
वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

- ग) इंस्टीट्यूट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार निधियां विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित हैं और परिषद के निर्णय के अनुसार बैंकों में सावधि जमा में तदनुसार निवेश के साथ खातों में समाहित हैं।
- घ) ₹ 2,25,09,30,649/- की सावधि जमा (विगत वर्ष में ₹ 1,90,48,46,113/-) (मुख्यालय कोलकाता और दिल्ली कार्यालय)
- ङ) अन्य अग्रिमों में ₹ 1,36,097/- (विगत वर्ष में ₹ 1,36,097/-) की राशि शामिल हैं, जो एम सी ए, भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण एक पूर्व परिषद सदस्य से देय हैं और वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
- च) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (जी एस टी सहित) ₹ 5,12,710/- (विगत वर्ष में ₹ 5,45,210/-) - क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क को छोड़कर।
- छ) "इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट" को भविष्य निधि अंशदान किया जाता है।  
आई सी एम ए आई पीएफ ट्रस्ट बोर्ड ने दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को हुई अपनी बैठक में इंस्टीट्यूट की परिषद के निर्णय के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत पी एफ पंजीकरण को वापस करने और पी एफ खाते को ई पी एफ ओ, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रतिष्ठान के उसी पी एफ कोड नंबर को बरकरार रखा जाएगा। तदनुसार, पी एफ ट्रस्ट ने दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से इसका अनुपालन करने के लिए ई पी एफ ओ, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता को फॉर्म संख्या एसई- 1 के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया है। ई पी एफ ओ ने फॉर्म संख्या एसई-5 जारी करके इंस्टीट्यूट को गैर-छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत पीएफ औपचारिकताओं को पूरा करने की अनुमति प्रदान की है और तदनुसार इसका अनुपालन किया जा रहा है।
- ज) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (संशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को समूह उपदान नीति के विरुद्ध भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी आई) को किए गए अंशदान के आधार पर मान्य किया जाता है।

## भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

## वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी सं. - 20

- झ) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी आई) द्वारा रखरखाव की जा रही अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि में किए गए अंशदान के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ञ) सिडको से लीजहोल्ड प्लॉट पर बेलापुर, नवी मुंबई में नवी मुंबई सेंटर एक्सीलेंस भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में शुरू हुआ था। उक्त निर्माण कार्य का टेंडर वर्ष 2013 में गुलराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। परिषद के निर्णय के अनुसार, भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में रोक दिया गया था तथा भवन के भूतल और तीन ऊपरी मंजिलों के सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था।

निर्माण कार्यों में हुई रुकावट के कारण, परियोजना के सिविल ठेकेदार गुलराज कंस्ट्रक्शन ने संस्था से हुए लाभ हानि, ओवरहेड, लागत वृद्धि तथा परियोजना में समय की देरी के चलते हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए कुल ₹4,70,40,974/- की मांग करते हुए, वर्ष 2017-18 में परियोजना से संबंधित मामला वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका क्रमांक 613/2021 माननीय मध्यस्थ, बॉम्बे के समक्ष दायर किया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 6 मई, 2025 के आदेश के तहत मेसर्स गुलराज कंस्ट्रक्शन्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच विवाद का निपटारा कर दिया। इस आदेश के तहत इंस्टीट्यूट को यह निर्देश दिया गया कि वह मेसर्स गुलराज कंस्ट्रक्शन्स को दिनांक 24 अप्रैल, 2025 की हस्ताक्षरित सहमति की शर्तों के तहत पक्षकारों के बीच तय राशि का भुगतान करे। दिनांक 24 अप्रैल, 2025 की उक्त सहमति की शर्तों के अनुसार, भुगतान की योजना इस प्रकार है: -

- i) प्रतिवादी के बैंक खाते में हस्तांतरण के माध्यम से ₹17,12,573/- का अग्रिम भुगतान (जिसमें ₹9,12,573/- का ब्याज और ₹8,00,000/- की अग्रिम राशि शामिल है)।
- ii) शेष राशि ₹18,83,275 का भुगतान उक्त बैंक गारंटी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में जमा की गई उक्त राशि के शीघ्र बाद किया जाएगा, जब माननीय न्यायालय से मूल बैंक गारंटी वापस आने पर उक्त बैंक द्वारा इसे जारी कर दिया जाएगा।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**  
**टिप्पणी सं. – 20**

दिनांक 24 अप्रैल, 2025 की सहमति शर्तों के अनुसार लेखा पुस्तकों में राशि का पूर्ण प्रावधान किया गया है (₹ 8,00,000/- की ई एम डी को छोड़कर)।

- ट) निवेश (इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं)
- i) आई सी ए आई की इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में निवेश में ₹ 10/- प्रति शेयर के 6 शेयर शामिल हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर हैं।
  - ii) आई सी एम ए आई पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता संगठन में निवेश में 10/- रुपये प्रति शेयर का 1 शेयर शामिल है, जो इंस्टीट्यूट के नाम पर नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नामितियों के नाम पर है।
- ठ) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई ₹ 36,35,000/- की राशि मुख्यालय के नाम पर लंबित भूमि के हस्तांतरण के कारण "ऋण और अग्रिम" शीर्षक के अंतर्गत "पुणे भवन के लिए अग्रिम" के रूप में अभी भी रखी हुई है।
- ड) देयताओं के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में वर्ष के दौरान ₹ 50,50,000/- की राशि पुरांकित (राइट बैक) की गई है, जिसे अब देय नहीं माना जाता है। इस पुरांकित (राइट बैक) की गई राशि को वर्ष के आय और व्यय विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्य किया गया है।
- ढ) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अचल चल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, ₹ 7,20,762/- की क्षतिग्रस्त/ अप्रचलित संपत्तियों की पहचान की गई है। तदनुसार, उक्त संपत्तियों को वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में बट्टे खाते डाला (राइट ऑफ) गया है।
- ण) वर्ष के दौरान विविध लेनदार शेषों के संबंध में ₹ 43,24,383/- की राशि पुरांकित (राइट बैक) कर दी गई है, जो काफी समय से पुस्तकों में बकाया थे और अब प्रबंधन द्वारा देय नहीं माने जाते हैं।
- त) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कर्मचारी भविष्य निधि (ट्रस्ट) से संबंधित निवेशों के मूल्य में कमी और घाटे के कारण पुस्तकों में ₹ 78,66,556/- की राशि प्रदान की गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ट्रस्ट के लेखा परीक्षित खातों पर आधारित है।



**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

थ) दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, इंस्टीट्यूट के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, संशोधित “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006” के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को देय ब्याज सहित कोई राशि नहीं है।

### 3. ई आई आर सी के संबंध में

क) एलआईसीआई द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2024 की रसीद सं. 3622 के तहत समूह उपदान योजना के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ई आई आर सी ने वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी आई) द्वारा संचालित समूह ग्रेच्युटी योजना को ₹ 2,27,797/- का भुगतान किया है। ई आई आर सी के उपदान निवेश (ग्रेच्युटी) का रखरखाव भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी आई) के पास है और दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष ₹ 23,64,062/- है, जैसा कि एल आई सी आई द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है।

ख) विविध देनदारों का शेष ₹ 32,72,100/- है, जो कि अपुष्ट है, क्योंकि वर्ष के अंत में शेष के लिए कोई पुष्टि प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था।

ग) दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार टी डी एस प्राप्य राशि में ₹ 7,17,990/- (विगत वर्ष में - रु. 4,14,918/-) शेष हैं। इसका भौतिक टी डी एस प्रमाण पत्रों के साथ-साथ आयकर पोर्टल से इंस्टीट्यूट के नाम विभाग में जमा राशि के संदर्भ में पूरी तरह से मिलान किया जाएगा।

घ) ₹ 2,80,687/- की विविध लेनदार राशि के लिए 3 वर्षों से भी अधिक समय से दावा नहीं किया जा रहा है।

### 4. डब्ल्यू आई आर सी के संबंध में

क) एफ डी ए पी एल से ₹ 67,30,000/- के प्राप्य दावे, जो वर्तमान परिसंपत्तियों में दर्शाए गए हैं और ₹ 15,69,507/- के आस्थगित व्यय, जो ऋण, अग्रिम और जमा में दर्शाए गए हैं, मुकदमेबाजी के अधीन हैं।

ख) वसूली योग्य प्रावधानों की राशि ₹ 4,20,707/- - चालू देनदारियां, जो वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदित किए जाने पर पुरांकित (राइट बैक) की जाएगी, क्योंकि वे देय नहीं हैं। इसी प्रकार, यही राशि मुख्यालय के खाते में प्राप्य के रूप में शामिल की गई है, जिसे भी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) द्वारा अनुमोदन किए जाने के अध्यक्षीन बट्टे खाते (राइट ऑफ) किया जाएगा।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. – 20

**5. एन आई आर सी के संबंध में**

- क) दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्र की लेखा पुस्तकों में ₹ 4.55 लाख की राशि, चैप्टर के चालू खाते के शेष के रूप में रखी हुई है, जिसका समाधान अभी किया जाना है। एन आई आर सी इसके समाधान की प्रक्रिया में है और अंतर बहुत पुराना होने के कारण, यदि समाधान नहीं हो पाता है, तो उसे चालू वर्ष में समायोजित/ लेखांकित किया जाएगा।
- ख) एन आई आरसी के चैप्टर को अन्य ऋण- एन आई आर सी के अंतर्गत विभिन्न चैप्टर को ₹ 34.87 लाख का ऋण दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र की लेखा पुस्तकों में ₹ 9.87 लाख की राशि, चैप्टर को अन्य ऋण के रूप में रखी है, जिसका समाधान अभी किया जाना है। ज्ञात हुए उक्त अंतरों का एन आई आर सी द्वारा समाधान किया जा रहा है और उन्हें चालू वर्ष में समायोजित किया जाएगा।
- ग) एन आई आर सी पर ₹ 60,580/- की बकाया टी डी एस मांग है। ये मांगें 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता, इन्हें मैनुअल रूप से निपटाया जा रहा है और इनके समापन के संबंध में अगली आर सी एम में चर्चा की जाएगी।
- घ) सांविधिक देयताएं
- i. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ई पी एफ ओ देय बकाया राशि में ₹ 1,62,244 की राशि शामिल है, जो दिनांक 17 अप्रैल, 2023 के पत्र डी एल सी पी एम/17428/कंप-11/3 के अनुसार धारा 7क के अंतर्गत ई पी एफ ओ को देय हैं, जिनका चालू वर्ष में समाधान किया जा रहा है।
  - ii. 'ई डी एल आई देय बकाया में नियोक्ता अंशदान' खाते में, एन आई आर सी की लेखा पुस्तकों के अनुसार आरंभिक शेष राशि ₹ 6,910/- है। तथापि, दिनांक 9 अप्रैल, 2024 तक, दर्शाई गई शेष राशि ₹ 1,846/- है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,064/- का अंतर है।
  - iii. 'ई डी एल आई निरीक्षण शुल्क देय' खाते में, एन आई आर सी की लेखा पुस्तकों के अनुसार आरंभिक शेष राशि ₹ 4,107/- रुपए है। तथापि, दिनांक 9 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार, दर्शाया गया शेष ₹ 725/- है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,382/- का अंतर है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**  
**टिप्पणी सं. – 20**

- इ) प्रबंधन द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और अगले लेखा वर्ष में पुनः किया जाएगा।
- च) दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, चालू संपत्तियों के अंतर्गत 'अर्जित आय' के अंतर्गत दर्शाई गई राशि ₹ 30,39,200/- के लिए आधार।

**6. कोचीन चैप्टर के संबंध में**

आकस्मिक देयता

- क) वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक सब-कोर्ट आदेश जारी किया गया था। ये मामले सी एफ ई द्वारा किए गए निर्माण के कारण अपने भवन को हुए नुकसान का दावा करते हुए सी एफ ई के पड़ोसियों द्वारा दायर किए गए थे। आदेश की राशि ₹ 19,38,785 है, जिसमें ₹ 13,00,000 मुआवज़ा और ₹ 6,38,755 ब्याज के रूप में शामिल हैं। चैप्टर ने इस आदेश के खिलाफ एर्णाकुलम जिला न्यायालय में अपील दायर की, साथ ही एक स्थगन याचिका भी दायर की गई और जिला न्यायालय, एर्णाकुलम ने इस शर्त पर आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी कि चैप्टर द्वारा मुआवज़े और ब्याज को कवर करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, मुआवज़े के लिए ₹ 15,00,000 और अद्यतन ब्याज के लिए ₹ 5,43,885 की राशि की दो बैंक गारंटी जारी की गईं और न्यायालय में प्रस्तुत की गईं। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और इसलिए इंस्टीट्यूट ने माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, मामला अब मुख्यालय को सौंप दिया गया है और मुख्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही है। मुख्यालय ने अपील की कार्यवाही शुरू कर दी है। चूंकि अपील अभी प्रारंभिक चरण में है, अतः अंतिम परिणाम की कोई निश्चित संभावना नहीं है। बैंक गारंटी निचली अदालतों के निर्देशों के अनुसार मान्य है। अतः इस स्तर पर आकस्मिक देयताओं का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

**भारतीय लागत लेखाकार संस्थान**  
**वित्तीय विवरणों के भाग स्वरूप टिप्पणियां (जारी)**

टिप्पणी सं. - 20

ख) चैंप्टर द्वारा चालिक्कावट्टम, ग्रामीण वायानसाला रोड, बिटिल्ला, एर्नाकुलम में भवन निर्माण के लिए दिए गए कार्य अनुबंधों के मामले में, अनुबंधकर्ता उन कार्यों के लिए कर कटौती के लिए उत्तरदायी है जिनमें सामग्री की आपूर्ति और श्रम दोनों शामिल होती हैं। कोचीन चैंप्टर भुगतान किए जाने से पहले ठेकेदारों से कार्य अनुबंध कर की कटौती करने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संबंधित ठेकेदारों से फॉर्म नंबर 1ईई में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है। ₹ 75,80,762/- की राशि के कार्य अनुबंधों के मामले में फॉर्म 1ईई प्राप्त नहीं किया जाता है। उपरोक्त पर कार्य अनुबंध कर देयता ₹ 6,06,461/- + ब्याज होगी। चैंप्टर ने डब्ल्यू सी टी पंजीकरण नहीं लिया है, क्योंकि सभी ठेकेदार कर विभाग के पास पंजीकृत हैं और फॉर्म 1ईई जमा करने के लिए सहमत हुए हैं। चैंप्टर ने ₹ 4,67,057/- की राशि अपने पास रख ली है, जो 1ईई से संबंधित देयताओं को पूरा करने के बाद ही ठेकेदारों को जारी की जाएगी।

**7. भुवनेश्वर चैंप्टर के संबंध में**

क) चैंप्टर द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 31 मार्च, 2024 की स्थिति तक ₹ 3,52,760/- की अवकाश नकदीकरण राशि का प्रावधान किया गया था। तथापि, मुख्यालय ने इस अवधि के लिए ₹ 7,82,356/- लिए थे। ₹ 4,29,596/- के अंतर की राशि को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अवधि पूर्व व्यय के रूप में माना जा रहा है।

8. वित्तीय विवरणों के समेकन के समय क्षेत्रीय परिषदों और चैंप्टरों से संबंधित आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां की गई हैं।

9. चालू वर्ष के वर्गीकरण/ प्रकटीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

**नोट 1 से 20 के लिए हस्ताक्षरित**

सीएमए सोमा बनर्जी  
अपर निदेशक - वित्त

सीएमए डॉ. देबाप्रसन्ना नंदी  
सचिव (कार्यवाहक)

सीएमए टीसीए श्रीनिवासा प्रसाद  
उपाध्यक्ष

सीएमए बिभूति भूषण नायक  
अध्यक्ष

स्थान :  
तारीख :

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**(Statutory Body under an Act of Parliament)**

(UNDER THE JURISDICTION OF MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2025

**F. No. G/20-CMA/9/2025.**—In pursuance of Sub-Section 5B of Section 18 of the Cost Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2025 are hereby published for general information.

D. P. NANDY Secy. (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./375/2025-26]

**66th, ANNUAL REPORT, 2024-25**

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 66th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute.

**Abridged Annual Report 2024-25**

**Directorate and its Activities**

**Activities of the Committees/Boards/Cells/ Directorates**

✓ **President's Office**

President's Office facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's Office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, and jobs assigned by Council Members, Former Presidents and Higher Officials of the Institute.

✓ **Directorate of Examination**

The Foundation, Intermediate and Final examinations were held in offline centre-based mode in June and December 2024 term. Examinations in each of the terms were conducted in 187 examination centres including 3 overseas centres. The number of examinees for the Foundation examination in both the term were 34,114. The number of examinees for the Intermediate and Final in both the term were 1,71,664.

✓ **Directorate of Studies**

It primarily focuses on student-related activities and is committed to continually enhancing its services. It undertakes various initiatives through both offline and online modes to ensure maximum outreach and support for students.

Presently it operates through its three distinct wings:

- (A) Academics
- (B) Administration
- (C) Training

The Directorate mainly emphasizes on:

1. Students' Statistics
2. Initiatives taken for capacity building through qualitative improvements
3. Support services to the students
4. Social Responsibilities
5. Training
6. Online Mock Test

✓ **Membership Department**

Under the guidance of the Members' Facilities Committee and the dynamic leadership of CMA Bibhuti Bhusan Nayak, President of the Institute, and CMA Avijit Goswami, Chairman of the Members' Facilities Committee, the Membership Department has consistently enhanced and streamlined its services—predominantly through online platforms—throughout the year. During the financial year 2024–2025, a total of 1630 individuals were admitted as Associate Members, while 478 members were elevated to Fellowship.

Building upon the previously introduced enhancements, the following member-centric features have been sustained and further optimized:

- Restoration of Certificate of Practice
- Waiver of Online Transaction Charges
- GST Integration
- Simplified Fee Payment
- Expedited CoP Allocation
- Transparency Through Publications
- Enhanced Security Features
- Personalized Certification
- Ongoing Digital Advancements
- **Credit Card Facilities**

**New Addition:**

- Beginning in the 2024–2025 Financial year, all newly registered CMA members will receive a physical copy of their Identity card, in addition to the existing online access. Existing members may also obtain a physical Identity Card upon application. This enhancement marks a new addition to the current digital provision.
- The Institute has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with New India Assurance Co. Ltd. on February 7, 2025. Under this agreement, members, students, and employees of the Institute will be eligible for discounted premium rates on a range of insurance products. These include health insurance, professional indemnity insurance, motor vehicle insurance, personal

accident policies, and office protection shield policies. This collaboration aims to provide comprehensive and cost-effective insurance solutions to support the well-being and professional needs of our community.

✓ **Directorate of Journal & Publications**

- The Directorate publishes monthly journal “The Management Accountant” and quarterly journal “Research Bulletin” on regular basis.
- The Management Accountant journal is now available in 94 countries across the world and continuously trying to increase the same to other parts of the world.
- The Management Accountant journal is available on apps for reading through third parties viz. Magzter and Readwhere and the Directorate is also trying to enlist the same to other platforms mainly at the International Level.
- Formation of Editorial Advisory Team for *The Management Accountant*
- Valuation Corner by CMA Rammohan Bhawe
- Business Cases by CMA (Dr.) Girish Jakhotiya
- Successfully organized Webinars & Workshops and uploaded the same in the Youtube Channel of the Institute.
- Interview of Renowned Personalities
- “The Management Accountant” has been converted from .pdf to Kindle / FlipBook. The Flipbook is easy to use, responsive across all devices, improves the visual appearance of PDF files and has other interactive features that make the reading experience more engaging and enjoyable.
- The corporate database for posting complimentary copies to chiefs of Banks, RBI, IRDA, SEBI, Insurance companies and various other Industry leaders is being updated periodically.

✓ **Information Technology Department**

Over the time, the Institute has begun leveraging emerging technologies viz. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Cybersecurity, ensuring that its system remain agile and responsive to market changes:

- ERP Implementation at the Institute
- Artificial Intelligence (AI)
- Members Online System
- Online Student Registration System
- Creation of WhatsApp Channel of the Institute
- Designing, Development and Maintenance of Website of 61<sup>st</sup> National Cost & Management Accountants' Convention 2024
- Migration of ICMAI website on the Amazon AWS
- Multipurpose Empanelment Scheme (MES) Scheme
- New look of ICMAI Chapter's Website
- CMA National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2024
- Admit Cards & Result Hosting
- Online Events

✓ **Professional Development & CPE Directorate**

❖ **ACTIVITIES**

- RECOGNITION OF CMAS ON THE INSTITUTE'S REPRESENTATION
- REPRESENTATIONS TO GOVERNMENT, PSUS, BANKS AND OTHER ORGANIZATIONS
- AWARDS OF THE INSTITUTE
- MANDATORY CAPACITY BUILDING TRAINING (MCBT) FOR COP HOLDERS
- NATIONAL CMA PRACTITIONERS' CONVENTION (NCPC-2025)

- WEBINAR SERIES
  - SEMINARS & WORKSHOPS
  - ONLINE PREPARATORY CLASSES FOR SEBI EXAMINATION
  - ONLINE PREPARATORY CLASSES, UPSC RECRUITMENT TEST FOR THE RECRUITMENT OF ASSISTANT DIRECTOR (COST)
  - MULTIPURPOSE EMPANELMENT SCHEME (MES)
  - GUIDANCE NOTE
  - GUIDELINES FOR MEMBERS UNDER CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION (CPE) 2024
  - CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION (CPE) PROGRAMMES
- ✓ **International Affairs Department**
- ❖ International Meetings & Events
    - South Asian Federation of Accountants (SAFA)
    - Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and AFA
    - International Federation of Accountants (IFAC)
    - International Conference on Cost & Management Accounting
    - IOD Conventions
    - Webinar
- ✓ **Board of Advanced Studies & Research**
- Advanced Studies Courses
  - Workshop
  - Online Examinations
- ✓ **Technical Department**
- Cost Accounting Standards Board (CASB)
  - Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)
  - Technical Cell
- ✓ **Banking, Financial Services & Insurance Board**
- Representation letters for inclusion of CMAs
  - Certificate Courses of BFSI
  - Webinars
  - Physical Events
  - Publications
  - MoU with The International Financial Services Centres Authority (IFSCA)
  - BFSI Insight Summit organized by the Business Standard
  - Seminar on 17th ICC Mutual Fund Summit 2025 organized by ICC in association with BFSIB, ICAI on 21st June 2025
- ✓ **Sustainability Standards Board**

The Council of the Institute of Cost Accountants of India has constituted the Sustainability Standards Board (SSB) in the year 2022 with the objective to enable the members of the Institute play an active role in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) & Environmental, Social and Governance (ESG) compliance and disclosures.



The SSB has done the following activities for the year 2024-25 under the *Vasudhaiva Kutumbakam* Webinar series:

1. Webinars
2. Monthly Newsletter titled *Sukhinobhavanu*
3. Certificate Course on ESG
4. Sustainability Month Observance in January 2025
5. ICAI Sustainability Standards
6. E library in SSB Portal
7. Sustainability Calendar
8. Brand Image of *Vasudhaiva Kutumbakam* webinar series

✓ **Management Accounting Committee**

The Management Accounting Committee of the Institute, is continuously making the endeavour to develop best practices and guidance on the relevant topics of Management Accounting that is of high importance to the members in practice, business and industry. The Committee proposes to facilitate communication and sharing of knowledge between the Institute and its members as well as other organizations dealing with Management Accountancy and to take up the task of issuing Management Accounting Guidelines and / or Good Management Accounting Practices on the significant areas of Management Accounting, worldwide.

Three basic features:

- International Management Accounting Day
- Diploma in Advanced Management Accounting course
- Management Accounting Awards

✓ **Members in Industry Committee**

- Industry Insights – Bulletin Publications for FY 2024–25
- 11<sup>th</sup> PHDCCI Global Rail Convention on “Indian Railways – Journey Towards Viksit Bharat through Innovation, Infrastructure, Investment & Industry Partnership”

✓ **Cooperative Development Board**

The Board undertook the following activities during the Year 2024-25:

- Representation Letters
- Strategic Alliance
- Physical Programmes
- Training Programmes
- Webinars and Programmes
- Publications
- Meeting with the Ministers and Registrars of Cooperative Societies and Bank Executives in respective States.
- Research Initiatives
- Other Meetings and Events

✓ **Internal Control Committee**

**Internal Audit**

The Department had coordinated for the appointment of Internal Auditors for the financial year 2024-2025 at the Headquarters including Kolkata Office, Regional Councils and Chapters with Turnover exceeding Rs. 1 crore and above and also providing the scope of work and necessary coordination for such audit.

**Purchase Proposals**

The department has been vetting various purchase proposals originating from different departments at HQ, Delhi Office along with procurement proposals of Regional Councils and Chapters.

✓ **Regional Council & Chapters Coordination Committee**

The Committee headed by CMA (Dr.) K Ch A V S N Murthy as Chairman is comprised of twelve Members (including the Chairman and three co-opted members).

**The Committee is tasked with:**

- Bridging the gap among Headquarters, Regional Councils & Chapters
- Improving operational efficiencies
- Encouraging Regional Council & Chapters to cooperate with compliance, rules & regulations of the Institute
- Proactively identifying issues and facilitating joint action on cross-cutting issues or issues of shared Concern

**Activities of the Committee:**

- Region wise Chapters Meets in 2024 - 25
- National Chapters Meet in May 2025

✓ **Career Counselling & Placement Committee**

- Pre-Placement Orientation Programme (PPOP)
- CMA Campus Placement Programme
- Career Counselling Initiatives
- National Youth Commerce Olympiad (NYCO) 2024
- CMA Skill Enhancement Training (C-SET) Program

✓ **Tax Research Department**

- Workshop
- Physical Visits to the Ministry & Departments
- CMA Tax Volunteer Scheme
- Budget Seminar, 2025
- Physical Seminar
- Celebrating the 7<sup>th</sup> Anniversary of GST Day, 2024
- Observance of Income Tax Day, 2024
- CMA Tax Conclaves
- Quiz
- Tax Bulletins
- Webinars
- Representation to the Government
- Inputs on Income Tax Bill
- Taxation Help Desk
- Taxation Courses

**Indirect Taxation**

- Certificate Course on GST
- Advanced Certificate Course on GST
- GST Course for College and Universities
- Advance Course on GST Audit and Assessment

- Certificate Course on International Trade

#### **Direct Taxation**

- Certificate Course on TDS
- Certificate Course on Income Tax Return Filing
- Advance Course on Income Tax Appeals and Assessment
- Income Tax Course for College and Universities

#### **Top Stories**

The “Top Stories” section in the Taxation Portal is being updated on a regular basis to enhance the knowledge of the stakeholders. Updates on Notifications, Circulars, Judgements etc. are being uploaded under this section with a narrative gist on a real-time basis to enable the stakeholders to get updates on taxation matters.

#### ✓ **Peer Review Board**

During the year the PRB of ICMAI met once. The Board initiated assigning peer review assignments from 1<sup>st</sup> August 2024 by taking consent from the PUs and Reviewers through bulk emails. The Board of the Institute issued 18 Peer Review Certificates to the firms of Cost Accountants that were successfully reviewed by empanelled reviewers.

#### ✓ **CAT Directorate**

Activities:

- CAT Course for retiring/retired Defence Personnel
- 2nd National CAT Students’ Convention 2025 of the Institute of Cost Accountants of India - “Future Ready Accountants: Empowering Skills for Tomorrow”
- Chapters and CAT ROCCs Meet
- Career Counselling
- New ROCC
- Examination
- Online Classes

#### ✓ **PR**

- Institute’s request to Govt. Ministries and Departments and its follow up
- Media Management
- Inviting VVIP’s for Institute’s Programmes as Chief Guests on behalf of the institute
- National Students’ Convocation – 2025 of ICMAI graced by the Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu, on 23rd June, 2025 at Vigyan Bhawan, New Delhi
- General

#### ✓ **AGRICULTURE COST AND MANAGEMENT BOARD**

The Agriculture Cost Management Board (ACMB) of the ICMAI with a primary focus on contributing to the growth and development of the Agricultural Sector in India. ACMB is committed to promoting best practices in cost management and providing guidance to stakeholders in the agricultural sector. key focus areas include Revenue Management & Cost Control, Cost Benefit Analysis, Agricultural Supply Chain Development, Inventory Management, Capacity Building, FPO Management, Networking with public and private institutions engaged in research, academics, commerce, and business Enhancing awareness on cost and returns optimization and risk minimization throughout agricultural value chains.

- Diploma in Agricultural Cost Management (DACM) course, a joint initiative of ICAI & IGNOU
- Publication of Research Monograph and Bulletin
- Webinar Organized by Agriculture Cost Management Board
- Celebration of Farmers' Day in December 2024
- Participation in State Level Bankers' Committee Meeting
- Initiatives for building bonds with Agriculture Universities
- ✓ **MSME & Start-up Promotion Board**
  - Publication of MSME TITBITS – A bi-monthly journal
  - Exchanging Memorandum of Understanding (M.O.U.):
  - MSPB as a Logo sponsorer and Knowledge partner
  - Webinars
  - Programmes held by the MSME and Start up Promotion Board with Different Bodies
  - Celebration of MSME Month June 2025
  - Seminar organized by the Chapters and other Bodies in association with MSPB for the Celebration of MSME Month in June 2025
- ✓ **AI**
  - ICAI has established a separate committee on AI to build Strategy & Capacity in use of AI in domain of Cost & Management Accounting.
  - ICAI has launched a 5-days course on AI to build capacity amongst its members, students and industry representatives.
  - Launched AI based CMA-GPT to support the industry and professionals.
  - ICAI is also in the process of developing AI based tools to help students prepare for the exams and to test their knowledge.
  - ICAI is engaging with the businesses to understand their expectations in terms of creating AI Infrastructure in the domain of Finance, Costing, Management Accounting, Taxation, etc.
- ✓ **INTERNAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD**
  - Development of Sector-Specific Guidance Notes
  - Webinar on Internal Audit
  - Engagement with the Bureau of Indian Standards (BIS)
  - Seminar on "Professional Avenues for CMAs and Internal Audit in AI"
  - Representation in SEBI's Knowledge/Content Committee for NISM Certification
  - Pursuit of Global Recognition
- ✓ **TASK FORCE ON STRATEGY AND PLANNING FOR VISION 2047**

In June 2024, IIM Ahmedabad undertook a project to study the various aspects of running of the Institute of Cost Accountants of India (ICAI) and the CMA profession, to position ICAI as a globally benchmarked, future-ready professional body cultivating value architects and finance professionals who integrate cost leadership, strategy, analytics, technology, and ethics to strengthen sustainable competitiveness. Over the last 15 months, the IIM Ahmedabad team has carried out an extensive data collection and stakeholder consultation process, based on which they are preparing the final report outlining the strategy and vision for ICAI @ 2047.

The major objectives of the project include:

- Curricular Recalibration
- Stakeholder-Centric Governance
- Technological Fluency
- Industry Integration
- Brand Stewardship

The following data collection steps were undertaken by the IIM Ahmedabad team:

- Secondary Research & Benchmarking
- Survey Deployment
- Stakeholder Workshops
- Diagnostic Workshops
- Framework Development

Next Steps:

- Blueprint Integration
- Interim Findings
- Implementation Roadmap

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

### The Council of THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

#### Report on the Audit of the Financial Statements

##### Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA** ('the Institute') which comprises the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2025, the Statement of Income and Expenditure and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matters described in the *Basis for Qualified Opinion* section of our report, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Cost Accountants Act, 1959, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at 31<sup>st</sup> March, 2025, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

##### Basis for Qualified Opinion

1. The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering Headquarters - Delhi, Kolkata Office, four Regional Councils and one hundred nine Chapters.

Financial statements of seven Chapters are not available for consolidation in the consolidated financial statements of the Institute.

2. There is an un-reconciled net credit balance of Rs. 2,67,53,700/- Cr (P.Y – Rs. 2,29,43,332/- Cr) classified under 'Current Accounts with Regional Councils and Chapters'. Refer Note No. 5 of Notes to Financial Statements.

Financial impact of the above qualifications cannot be ascertained.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our responsibilities in accordance with these requirements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

### **Emphasis of Matter**

We draw attention to the following notes:

1. In respect to Headquarters:
  - a) Note No. 2(j) of Notes to Accounts which describes that, an amount of Rs. 4,99,78,350/- is lying in the books of Headquarters representing CWIP in respect Navi Mumbai Centre Excellence building at Belapur for which no further work has been carried out/undertaken during the last 6 years.
2. In respect to Western India Region Council (WIRC):
  - a) Note No. 4(a) of Notes to Accounts, which describes that Claims receivable of Rs. 67,30,000/- and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507/- appearing which are subject to litigation. The Claims Suspense – FDAPL of Rs. 67,30,000/- and Provision for Expenses (comprising Deferred Expenses) represent the same amounts pending the final settlement of the dispute.
3. The year-end balance confirmation of trade receivables, trade payables, loans and advances etc have not been received from the parties.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

### **Responsibilities of Management for the Financial Statements**

Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Cost Accountants Act, 1959 and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

**Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

1. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
2. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
3. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
4. Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.
5. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in:



- i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and
- ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

### Other Matters

1. (a) We did not audit the financial statements of four Regional Councils and one hundred and nine Chapters whose financial statements reflect total assets of Rs. 2,61,04,65,777/- as at 31<sup>st</sup> March 2025 and total revenue of Rs. 59,10,74,242/- for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements of these Regional Councils have been audited by Other Auditors, appointed by the respective Regional Councils and the financial statements of the Chapters have been audited by Cost Accountants appointed by Governing Bodies of the Chapter in terms of Regulation 133 of the Cost Accountants Act, 1959, and Clause 26 of the Chapter Bye-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these aforesaid Councils and Chapters is based solely on the reports of the Other Auditors and Cost Accountants respectively.

(b) The financial statements for the year of the Institute do not include the financial statements of seven Chapters, as no financial statements have been received from these Chapters.

Our opinion on the financial statements and our report on Other Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the Other Auditors and Cost Accountants, as the case may be and the financial statements certified by the Management.

2. The amount of Rs. 36,35,000/- released during FY 2020-21 is still lying as “Advance for Pune Building” under the head “Loans & Advances” and not being treated as “Capital Grant”.
3. During the FY 2024-25 an amount of Rs. 2,15,19,024/- GST input lying unutilized have been charged to Income & Expenditure Account.
4. An amount of Rs. 50,50,000 /- has been written back during the year in respect of excess provision made towards liabilities, which are no longer considered payable. The write-back has been recognized as “Other Income” in the Statement of Income and Expenditure for the year
5. An amount of 43,24,383/- has been written back during the year in respect of sundry creditor balances that had been outstanding in the books for a considerable period and are now considered no longer payable by the Management.

6. An amount of Rs. 78,66,556/- has been provided in the books on account of deficit and diminution in the value of investments pertaining to the Institute of Cost Accountants of India Employees' Provident Fund (Trust), based on the audited accounts of the Trust for the financial year 2024-25.

### **Report on Other Regulatory Requirements**

We further report that:

- a) Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph above, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) Except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion paragraph above, in our opinion proper books of account as required by the Cost Accountants Act, 1959, have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters read with paragraph 1 of 'Other Matters';
- c) The reports on the financial statements of the Regional Councils and Chapters of the Institute audited by the Other Auditors and Cost Accountants of the respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report.
- d) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

**For KGRS & Co**

**Chartered Accountants**

**Firm Registration No. 310014 E**

**Anshu Agarwal**

**Partner**

**Membership No. 308581**

**UDIN: 25308581BMNVTO1495**

**Place: Kolkata**

**Date: 21<sup>st</sup> July, 2025**

<b>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</b>				
<b>BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025</b>				
As At 31st March 2024	PARTICULARS	Note	As At 31st March 2025	
₹			₹	₹
<b>SOURCES OF FUNDS</b>				
<b>INSTITUTE FUND</b>				
4,900,868,551	General Fund	(1)		5,475,356,119
2,242,028	Employees' Gratuity Fund	(2)		2,608,441
13,325,226	Miscellaneous Prize Fund	(3)		13,691,273
19,342,262	Other Funds	(4)		14,376,255
444,928,588	Current Liabilities	(5)		411,447,379
15,590,847	Provisions	(6)		16,290,930
<b>5,396,297,502</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5,933,770,397</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>				
<b>Non Current Assets</b>				
699,110,042	a) Property, Plant and Equipment	(7)	811,960,380	811,960,380
446,370	b) Intangible Assets	(7)	1,507,338	1,507,338
88,089,199	Capital Work In Progress			101,935,921
111,151,147	Investments	(8)		111,151,147
<b>Current Assets</b>				
9,252,542	Inventories	(9)	6,483,285	
233,444,286	Trade Receivables	(10)	235,957,801	
4,189,698,434	Cash and Cash Equivalents	(11)	4,586,765,809	
65,105,481	Loans and Advances	(12)	78,008,717	
				4,907,215,611
<b>4,497,500,743</b>				
<b>5,396,297,502</b>	<b>TOTAL</b>			<b>5,933,770,397</b>
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)		
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements				
<p>This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.  For <b>KGRS &amp; CO</b>  Chartered Accountants  Firm Regn. No. : 310014E</p> <p><b>Anshu Agarwal</b>  Partner  Membership No. : 308581</p> <p>CMA Soma Banerjee  Additional Director -Finance</p> <p>CMA TCA Srinivasa Prasad  Vice President</p> <p>CMA Dr. Debaprosanna Nandy  Secretary (Officiating)</p> <p>CMA Bibhuti Bhusan Nayak  President</p> <p>Place :  Dated :</p>				

<b>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</b> <b>STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE</b> <b>FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025</b>			
For the Year ended 31st March 2024	PARTICULARS	Note	For the Year ended 31st March 2025
₹			₹
	<b>INCOME :</b>		
55,345,089	Membership and Other Fees	(13)	55,273,247
1,304,622,758	Tuition and Other Fees	(14)	1,305,031,668
341,082,187	Examination and Other Fees	(15)	356,856,736
25,652,453	C. P.D and Other Programme Fees		65,417,523
467,702	Journal Subscription incl. Advertisement		392,900
820,546	Sale of Publication		736,225
259,317,463	Interest		310,758,776
10,315,948	Other Income		21,180,174
-	Donation Received u/s 80G		627,112
<b>1,997,624,146</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2,116,274,361</b>
	<b>EXPENDITURE :</b>		
383,233,281	Establishment Expenses	(16)	388,786,116
198,581,521	Office Expenses	(17)	216,930,807
2,391,310	Statutory Audit Fees		2,535,978
14,419,768	Travelling & Conveyance		18,730,780
239,833,167	Examination Expenses	(18)	292,217,296
36,960,095	Council and Committee Meeting Expenses		61,719,772
20,192,488	Election Expenses incl. Tribunal		12,060
19,992,191	Journal Expenses		14,856,580
11,874,750	Membership Subscription to Foreign Bodies		13,558,177
4,212,601	Conference & Meeting International		5,486,277
44,254,997	C. P.D, Technical Skill Development and Other Programme Expenses	(19)	79,423,747
12,040,446	Professional Development Expenses		23,662,916
340,995,397	Coaching Expenses		286,569,506
73,218,780	Study Materials and Prospectus Consumed		55,313,475
2,907,718	Publication Stock Consumed		1,448,926
4,474,977	Inventories and bad debts written off		1,371,854
13,327,552	Contribution to MBF & Critical illness		22,332,410
50,341,405	Depreciation and amortisation	(7)	55,669,392
<b>1,473,252,444</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1,540,626,069</b>
<b>524,371,702</b>	<b>Balance being excess of Income over Expenditure</b>		<b>575,648,292</b>
(135,754,171)	Prior Period Adjustments (Net)		4,236,128
<b>660,125,873</b>	<b>Balance being Surplus transferred to General Fund</b>		<b>571,412,164</b>
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	(20)	
Accompanying Notes 1-20 form an integral part of the financial statements			
This is the Statement of Income and Expenditure referred to in our report of even date.			
For <b>KGRS &amp; CO</b>			
Chartered Accountants			
Firm Regn. No. : 310014E			
	CMA Soma Banerjee	CMA Dr. Debaprosanna Nandy	
	Additional Director -Finance	Secretary (Officiating)	
Anshu Agarwal			
Partner			
Membership No. : 308581			
	CMA TCA Srinivasa Prasad	CMA Bibhuti Bhusan Nayak	
	Vice President	President	
Place :			
Dated :			

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025**

For the year ended 31st March 2024	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2025
₹		₹	₹
	<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
660,125,873	SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	571,412,164	
	<b>ADJUSTMENTS FOR:-</b>		
50,341,405	DEPRECIATION AND AMORTISATION	55,669,392	
<b>710,467,278</b>	<b>OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES</b>	<b>627,081,556</b>	
	<b>ADJUSTMENTS FOR WORKING CAPITAL CHANGES</b>		
(335,168,869)	INCREASE/(DECREASE) IN CURRENT LIABILITIES	(32,781,127)	
(72,440,716)	(INCREASE)/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(12,647,493)	
<b>(407,609,585)</b>		<b>(45,428,620)</b>	
<b>302,857,693</b>	<b>NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>		<b>581,652,935</b>
	<b>B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES</b>		
(16,316,620)	MOVEMENTS IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS INCLUDING CWIP	(127,758,027)	
	DECREASE IN INVESTMENT		
<b>(16,316,620)</b>	<b>NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)</b>		<b>(127,758,027)</b>
	<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
(74,260,088)	MOVEMENT IN FUND BALANCE	(56,827,534)	
<b>(74,260,088)</b>	<b>NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)</b>		<b>(56,827,534)</b>
<b>212,280,985</b>	<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)</b>		<b>397,067,374</b>
3,977,417,448	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		4,189,698,434
<b>4,189,698,434</b>	<b>CASH &amp; CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD</b>		<b>4,586,765,809</b>

**NOTES:-**

i. The above Cash Flow Statement has been prepared under 'Indirect Method' as set out in Accounting standard, AS - 3 on "Cash Flow Statement".

ii. Cash and Cash Equivalents represent :

941,070	Cash in hand	1,032,735	
245,795,614	Bank Balance - Current Account	132,102,457	
88,808,664	Bank Balance - Savings Account	150,599,421	
3,854,153,087	Fixed Deposits	4,303,031,195	
<b>4,189,698,434</b>		<b>4,586,765,809</b>	

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date.

For **KGRS & CO**

Chartered Accountants

Firm Regn. No. : 310014E

CMA Soma Banerjee  
Additional Director -Finance

CMA Dr. Debaprosanna Nandy  
Secretary (Officiating)

**Anshu Agarwal**

Partner

Membership No. : 308581

CMA TCA Srinivasa Prasad  
Vice President

CMA Bibhuti Bhusan Nayak  
President

**Place :**

**Dated :**

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.1 :****GENERAL FUND**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
<b>4,233,909,019</b>	Balance as per last Accounts	<b>4,900,868,551</b>
	Add :	
73,320,604	i) Capitalization of Chapter's Building	-
-	ii) Capitalization of Chapter's land - Baroda	25,489,388
-	iii) Capitalization of Chapter's land - Coimbatore	40,210,004
4,243,819	iv) Transfer of Capital- Vindhyannagar Chapter	-
<b>4,311,473,442</b>		<b>4,966,567,943</b>
<b>4,311,473,442</b>		<b>4,966,567,943</b>
73,320,604	Less- Adjustment for Chapters Building/Land	65,699,392
2,589,840	Add : Entrance Fees (Member)	3,075,404
<b>4,240,742,678</b>		<b>4,903,943,955</b>
660,125,873	Add : Surplus for the year as per annexed Statement of Income and Expenditure	571,412,164
<b>4,900,868,551</b>		<b>5,475,356,119</b>

**NOTE NO. 2 :****EMPLOYEES' GRATUITY FUND**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
<b>2,239,482</b>	Balance as per last Account	<b>2,242,028</b>
(38,942)	Add : Contribution for the year	91,968
<b>2,200,540</b>		<b>2,333,996</b>
41,488	Add : Interest earned on Fixed Deposit during the year	57,675
	Less : Transferred to gratuity fund during the year	(216,770)
<b>2,242,028</b>		<b>2,608,441</b>

<b>THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA</b> <b>NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)</b> <b>NOTE NO. 3 :</b> <b>MISCELLANEOUS PRIZE FUND</b>		
As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
12,880,698	Balance as per Previous Balance Sheet	13,325,226
228,121	Add : Addition during the year	-
405,438	Add : Income credited during the year	587,580
(189,031)	Less : Cost of the prize	(221,533)
13,325,226		13,691,273
<b>NOTE NO. 4 :</b> <b>OTHER FUND</b>		
As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
2,213,979	Building Fund	2,831,522
4,577,251	Library Fund	4,597,251
12,551,032	Miscellaneous Fund	6,947,482
19,342,262		14,376,255

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.5 :****CURRENT LIABILITIES**

<b>As At</b>		<b>As At</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
₹		₹
1,172,900	Library Deposit	1,178,600
173,194,354	Trade Payables	120,905,318
22,943,332	Current Account with Regional Councils and Chapters	26,753,700
221,457,656	Other Liabilities	242,171,251
12,720,169	Payable to Members Benevolent Fund	1,341,327
13,440,177	TDS Payable	19,097,183
<b>444,928,588</b>		<b>411,447,379</b>

**NOTE NO.6 :****PROVISIONS**

<b>As At</b>		<b>As At</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
₹		₹
15,590,847	Provisions	16,290,930
<b>15,590,847</b>		<b>16,290,930</b>



**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS****NOTE NO. 7 :****PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT & INTANGIBLE ASSETS**

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.2024	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment during the period	Total as on 31.03.2025	Upto 01.04.2024	For the year	Add/(Less) : Depreciation Adjustment during the year	Upto 31.03.2025	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
<b>A. Property, Plant and Equipment :</b>										
<b>FREEHOLD LAND</b>	209,455,429	139,150,287		348,605,716	-	-		-	348,605,716	209,455,429
<b>LEASEHOLD LAND</b>	64,431,251	461,648		64,892,899	12,182,127	832,057		13,014,184	51,878,715	52,249,124
<b>FREEHOLD BUILDING</b>	810,789,364	419,190		811,208,554	482,664,729	32,844,903	94,804	515,604,436	295,604,118	328,124,635
<b>FURNITURE &amp; FITTINGS</b>	104,875,073	195,493	(1,308,894)	103,761,672	56,447,871	4,858,934	(1,730,607)	59,576,198	44,185,474	48,427,202
<b>LIBRARY BOOKS</b>	13,065,349	522,265		13,587,614	12,413,443	408,199	87,927	12,909,569	678,045	651,906
<b>OFFICE EQUIPMENTS</b>	114,494,564	8,236,692	(132,344)	122,598,912	77,345,143	6,490,295	134,072	83,969,510	38,629,402	37,149,421
<b>GENERATORS</b>	16,833,084	599,844	(239,831)	17,193,097	12,762,789	688,278	88,754	13,539,821	3,653,276	4,070,295
<b>LIFT</b>	17,251,331	3,599,000		20,850,331	11,524,063	1,262,430		12,786,493	8,063,838	5,727,268
<b>MOTOR CAR</b>	4,137,092		(34,131)	4,102,961	1,229,476	436,142		1,665,618	2,437,343	2,907,616
<b>COMPUTER</b>	75,117,882	15,321,447	(31,089)	90,408,240	64,770,736	7,334,142	78,909	72,183,787	18,224,453	10,347,146
<b>CYCLE</b>	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
<b>TOTAL A</b>	<b>1,430,458,787</b>	<b>168,505,866</b>	<b>(1,746,289)</b>	<b>1,597,218,364</b>	<b>731,348,745</b>	<b>55,155,381</b>	<b>(1,246,141)</b>	<b>785,257,984</b>	<b>811,960,380</b>	<b>699,110,042</b>
<b>B. Intangible Assets :</b>										
<b>SOFTWARE</b>	42,407,076	1,539,991	(21,757)	43,925,310	41,960,706	514,011	(56,745)	42,417,972	1,507,338	446,370
<b>TOTAL B</b>	<b>42,407,076</b>	<b>1,539,991</b>	<b>(21,757)</b>	<b>43,925,310</b>	<b>41,960,706</b>	<b>514,011</b>	<b>(56,745)</b>	<b>42,417,972</b>	<b>1,507,338</b>	<b>446,370</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1,472,865,863</b>	<b>170,045,857</b>	<b>(1,768,046)</b>	<b>1,641,143,674</b>	<b>773,309,451</b>	<b>55,669,392</b>	<b>(1,302,886)</b>	<b>827,675,956</b>	<b>813,467,718</b>	<b>699,556,412</b>
<b>Previous Year</b>	<b>1,351,914,541</b>	<b>121,600,858</b>	<b>(649,536)</b>	<b>1,472,865,863</b>	<b>732,435,269</b>	<b>50,341,405</b>	<b>(9,467,223)</b>	<b>773,309,451</b>	<b>699,556,412</b>	
<b>Capital-Work in Progress</b>	<b>88,089,199</b>	<b>13,846,722</b>		<b>101,935,921</b>					<b>101,935,921</b>	<b>88,089,199</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO. 8 :****INVESTMENTS (AT COST)  
UNQUOTED**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
	<b>SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :</b>	
500	50 (Previous year 50) Shares of Rs.10/- each in Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited, Mumbai ( earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	500
110,000,000	Investment in Insolvency Professional Agency of ICAI	110,000,000
	1,10,00,000 (Previous year 1,10,00,000 Nos.) of paid up shares of Rs.10	
1,100,000	1,10,000 ( Previous year 1,10,000) Investment in ICMA- Registered Valuers Organisation	1,100,000
50,647	- Others	50,647
<b>111,151,147</b>		<b>111,151,147</b>

**NOTE NO. 9 :****INVENTORIES**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
2,443,686	- Publication Stock	1,556,354
5,150,411	- Study Material incl. Prospectus Stock	3,184,089
1,658,445	- Stock of Other Material	1,742,842
<b>9,252,542</b>		<b>6,483,285</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO. 10 :****TRADE AND OTHER RECEIVABLES****( UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
30,447,801	Trade Receivable	39,766,530
202,996,485	Other Receivables	196,191,271
<b>233,444,286</b>		<b>235,957,801</b>

**NOTE NO. 11 :****CASH AND CASH EQUIVALENTS**

As At 31st March 2024	PARTICULARS	As At 31st March 2025
₹		₹
	<b>Cash and Cash Equivalents :</b>	
941,070	Cash in hand	1,032,735
	<b><u>Balances with Scheduled Banks :</u></b>	
245,795,614	On Current Account	132,102,457
88,808,664	On Savings Account	150,599,421
3,854,153,087	<b>Fixed Deposits with Banks</b>	4,303,031,195
<b>4,189,698,434</b>		<b>4,586,765,809</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.12 :****LOANS AND ADVANCES  
( UNSECURED, CONSIDERED GOOD)**

<b>As At</b>		<b>As At</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
<b>₹</b>		<b>₹</b>
25,209,147	Other Advances	20,394,852
560,261	Festival Advance to Employees	775,238
22,824,667	TDS Receivable	35,389,396
11,272,900	Prepaid Expenses	11,977,346
5,238,506	Deposit	9,471,885
<b>65,105,481</b>		<b>78,008,717</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.13 :****MEMBERSHIP AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2024	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025
₹		₹
39,849,596	Annual Membership Fees	44,926,346
9,053,240	Members Certificate of Practice Fees	9,230,956
4,212,400	Certified Facilitation Centre Fees	-
917,130	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	144,996
519,050	Nomination Fee	164,445
635,273	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	698,074
158,400	Certificate of Good Standing	108,430
<b>55,345,089</b>		<b>55,273,247</b>

**NOTE NO.14 :****TUITION AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2024	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025
₹		₹
23,330,224	Student Registration Fees	25,221,666
12,660,000	Practical Training Registration Fees	18,180,000
9,015,500	Practical Training/Subject Exemption Fees	18,959,500
1,172,483,882	Tuition Fees	1,152,049,644
63,638,312	CAT Course Income	68,924,962
3,403,149	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	2,616,376
2,384,043	Sale of Prospectus	1,177,075
17,707,648	Sale of Study Notes	17,902,445
<b>1,304,622,758</b>		<b>1,305,031,668</b>

**NOTE NO.15 :****EXAMINATION AND OTHER FEES :**

For the year ended 31st March 2024	PARTICULARS	For the year ended 31st March 2025
₹		₹
333,644,279	Examination Fees	350,221,255
7,437,908	Verification of Answers Paper Fees	6,635,481
<b>341,082,187</b>		<b>356,856,736</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.16 :****ESTABLISHMENT EXPENSES**

<b>For the year ended</b>		<b>For the year ended</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
₹		₹
317,093,684	Salaries and Allowances	327,310,610
9,861,775	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	8,347,985
28,156,708	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	28,170,719
11,674	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	13,392
11,138,425	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	6,508,053
2,615,582	Employees' Leave Encashment - Existing	3,468,563
8,907,614	Medical Expenses	10,523,136
3,021,144	Leave Travel Allowance to Employees	1,667,263
1,579,879	RPFC Administration and E.D.L.I. Inspection Charges	1,424,191
846,796	Training and Development (H.R.D.)	1,352,204
<b>383,233,281</b>		<b>388,786,116</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.17 :****OFFICE EXPENSES**

<b>For the year ended 31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>For the year ended 31st March 2025</b>
₹		₹
7,317,924	Printing & Stationery	9,280,142
9,837,384	Postage, Telegrams, Telephones and Fax	8,747,518
1,895,300	Internal Audit Fees	2,645,250
13,201,224	Electricity Charges	14,087,453
307,518	Generator Expenses	513,090
3,260,076	Rates and Taxes	2,924,836
352,016	Insurance	389,320
10,747,121	Repair and Maintenance	13,806,454
1,454,718	Car Expenses	1,822,078
7,820	Interest on Caution Money Deposit	7,820
5,864,645	Legal Charges	4,642,621
861,575	Bank Charges	362,694
6,868,394	Computer Maintenance Expenses	7,165,050
4,477,108	Public Relation Expenses	4,629,484
3,994,408	Watch and Ward Expenses	5,971,882
520,003	Books and Periodicals	395,421
236,550	Delegate Fee	798,554
289,630	Gazette Notification	178,000
3,602,231	Staff Welfare	4,230,750
9,168,657	Rent	9,680,741
104,452,397	Administrative Charges	112,882,425
9,864,821	Sundry Expenses	11,769,225
<b>198,581,521</b>		<b>216,930,807</b>

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA****NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS ( CONTD.)****NOTE NO.18 :****EXAMINATION EXPENSES**

<b>For the year ended</b>		<b>For the year ended</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
₹		₹
91,892,216	Examination Expenses	85,548,473
85,899,927	Examiners' Remuneration	119,662,586
60,537,005	Examination Center Expenses	84,756,171
14,250	Examination Expenses for oral coaching Students	1,804
1,489,769	Prize & Prize Distribution Expenses	2,248,262
<b>239,833,167</b>		<b>292,217,296</b>

**NOTE NO.19 :****CPD PROGRAMME EXPENSES AND TECHNICAL SKILL**

<b>For the year ended</b>		<b>For the year ended</b>
<b>31st March 2024</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>31st March 2025</b>
₹		₹
10,861,046	CPD Expenses	19,497,162
99,308	National Award including Best Chapter Award	104,232
5,790,327	Regional Cost / National Convention Expenses	16,083,827
24,184,386	CPD Expenses - RC's/Chapters	38,107,113
3,319,930	Technical Skill Development	5,631,413
<b>44,254,997</b>		<b>79,423,747</b>



**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**Basis for preparation of Financial Statements**

The Financial Statements are prepared as going concern under the historical cost convention, in accordance with the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Accountants Act, 1959, as amended and on accrual basis unless otherwise stated.

**Basis of Consolidation**

The financial statements of Headquarter Delhi , Kolkata Office, its Regional Councils and Chapters are consolidated line by line by adding together the like items of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/(deficit). Necessary adjustments are made wherever required.

**Use of Estimates**

The preparation of the financial statements requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialized.

**Revenue Recognition**

**(a) Entrance Fees from Members**

Entrance Fees received from members is credited to General Fund.

**(b) Student Registration Fees**

Registration Fees received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled and payment is received.

**(c) Annual Members Fees**

Annual Members Fees is recognized in the year to which it pertains and when the payment is received except advances.

**(d) Tuition Fees**

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled and payment is received.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

**(e) Sale of Publications**

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

**(f) Examination Fees**

Examination Fees is recognized for the concerned term (s) to which it pertains.

**(g) Programme Fees**

Revenue from Programme Fees is recognized as and when such activity is undertaken.

**(h) Interest**

Interest income in respect of fixed deposits with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount accrued and at applicable rate.

**(i) Investment Income**

Income from Investments is recognized as and when the right to receive the same is established.

**Expenditure**

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

- (a) The Annual Grants to Chapters are recognized on accrual basis based on claims.
- (b) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

**Property, Plant and Equipment**

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and net of impairment, if any. Cost comprises the purchase price and any other cost, attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

**Intangible Assets**

Intangible Assets being computer software are carried at cost less accumulated amortization and net of impairment, if any.

**Capital Work in Progress**

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work in Progress.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

**Depreciation/Amortization**

- (a) Depreciation/amortization on Property, plant and equipment and Intangible Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act, 1961.
- (b) Leasehold land is amortized over the Lease period. The premium paid for acquisition of Lease Hold Land is amortized over the period of lease. The ground rent, if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.
- (c) Library books are depreciated at 40% in the year of purchase.

**Investments**

Long term investments are stated at cost. However, when there is a permanent decline in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

**Inventories**

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at lower of Cost or Net Realizable Value. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on Weighted Average basis and cost of paper is determined on First-In-First-Out (FIFO) basis.

**Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

- (a) A provision is recognized:
  - i. when there is present obligation as a result of past event;
  - ii. it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and
  - iii. a reliable estimate can be made of the amount of obligation.
- (b) No provision is recognized for:
  - i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;
  - ii. any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

Contingent Assets are not recognized nor disclosed in the financial statements.

**Foreign Currency Transactions**

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate, prevailing at the Balance Sheet date. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the Statement of Income and Expenditure, in the period in which it arises.

**Employee Benefits**

(a) Short term benefit

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

(b) Post-employment benefit

Post-employment benefits such as Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment etc. have been provided for, as applicable to Headquarter and Delhi Office and COEs.

**Impairment of Assets**

The carrying value of assets at each Balance Sheet date is reviewed for impairment. Impairment is recognized, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount.

**Taxes on Income**

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 12A read with section 11 of the Income Tax Act, 1961, as such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset or liability is considered necessary.

**Prior Period income/expenditure**

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Statement of Income and Expenditure.

**GST Unutilized Balance Written Off**

Balance of GST Input Credit as on 31<sup>st</sup> March, 2025 lying unutilized is charged to Income & Expenditure Account.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

**B. NOTES TO ACCOUNTS**

**1. Basis of Consolidation**

The consolidated financial statements of the Institute are prepared considering HQ Delhi , Kolkata Office, four Regional Councils and one hundred nine Chapters. Financial statements of seven Chapters namely, Jabalpur, Kutch-Gandhidham, Singrauli, Chandrapura, Jajpur-Keonjhar, Rajpur and Warangal are not included in consolidated financial statements during current year, having not been received. However, the consolidated financial statements include the previous year's figures wherever available of these chapters.

**2. With respect to Head Quarter:**

a) Contingent Liability (to the extent not provided for)

- i) The Service Tax demand of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs.5,01,68,756/-) along with applicable interest penalty of Rs. 5,01,68,756/- (Previous Year Rs. 5,01,68,756/-) as per Finance Act, 1994 RW CGST Act, 2017 against which a sum of Rs. 37,62,657/- (Previous Year Rs. 37,62,657/-) being 7.5% of the demand has been paid and shown under the head "Loans and Advances". The Institute has filed an appeal against the demand which is yet to be adjudicated.
- ii) As per policy, medical expenses are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years. As on 31<sup>st</sup> March, 2025, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs 2,748,333/- (Previous Year Rs. 28,61,868/-).
- b) Exemption in respect of Income Tax has been granted under section 12A read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961, Accordingly, no provision for income tax has been made. No provision for Deferred Tax Assets or Liability is considered necessary.
- c) All Prize Funds maintained by the Institute have been sponsored by different donors and are incorporated in the accounts with corresponding investment in Fixed Deposit with Banks, in terms of the decision of the Council.
- d) Fixed Deposits of Rs. 2,25,09,30,649 /- (Previous Year Rs. 1,90,48,46,113/-) (HQ Kolkata and Delhi office)
- e) Other Advances include Rs.1,36,097/- (Previous Year Rs.1,36,097/-) due from a former Council Member owing to disallowance by the MCA, Govt. of India and presently the matter is subjudice.
- f) Statutory Audit Fees (inclusive of GST) Rs. 5,12,710/- (Previous year Rs. 5,45,210/-) - Excluding Statutory Audit Fees in respect of Regional Councils and Chapters.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

- g) Provident Fund contributions are made to “The Institute of Cost Accountants of India Employees’ Provident Fund Trust.”

ICMAI PF Trust Board has taken a resolution in its meeting held on 16<sup>th</sup> December, 2024 backed by the decision of the Council of the Institute to surrender the PF registration under exempted category and to shift the PF Account to EPFO, Park Street, Kolkata, maintaining the same PF code number of the establishment. Accordingly, the PF Trust has submitted an application vide Form No. SE-1 to EPFO, Park Street, Kolkata for compliance of the same w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2025. EPFO granted the permission by issuance of Form No. SE-5 to the Institute to comply the PF formalities under un-exempted category and same is being complied accordingly.

- h) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act, 1972 (as amended) is recognized on the basis of contribution made to the LIC against the Group Gratuity Policy.
- i) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LIC.
- j) Construction of Navi Mumbai Centre Excellence building at Belapur, Navi Mumbai on the leasehold plot taken from CIDCO was started in the year 2012-13. The tender for the said construction was given to Gulraj Construction Pvt Ltd in the year 2013. As per the decision of the Council construction work of the building was stopped in the year 2015, the super structure of the building consisting of ground plus 3 above floors was completed.

Due to this stoppage of the construction works Gulraj Construction, Civil Contractor of the project filed a case no. Commercial Arbitration Petition No. 613 OF 2021 in the year before the Hon'ble Arbitrator, Bombay claiming an amount of Rs. 4,70,40,974/- from the Institute for their loss of profit, overhead, escalation of cost due to time overrun of the project in the year 2017-18.

The Bombay High Court vide order dated 6<sup>th</sup> May, 2025, disposed of the dispute between M/s Gulraj Constructions and the Institute of Cost Accountants of India, thereby directing the Institute to pay M/s Gulraj Constructions the amount as agreed by and between the parties vide the signed consent terms dt. 24<sup>th</sup> April, 2025. As agreed in the said consent terms dt. 24<sup>th</sup> April, 2025, the following is in the scheme of payment: -

- i) Down payment of Rs. 17,12,573/- (comprising of Interest to be paid Rs. 9,12,573/- and EMD Rs. 8,00,000/-) through transfer at the Respondent's bank account.
- ii) The balance amount of Rs. 18,83,275/- shall be paid soon after the said amount deposited by the Petitioner with Punjab National Bank for procuring the said Bank Guarantee is released by the said bank upon return of the Original Bank Guarantee from the Hon'ble Court.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

The amount has been fully provided for in the books of accounts as per the consent terms dated 24<sup>th</sup> April, 2025 (net of EMD of Rs. 8,00,000/-).

- k) Investments (Not held in the name of the Institute)
- i) Investments in Insolvency Professional Agency of ICAI include 6 shares of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of the Institute of Cost Accountants of India.
  - ii) Investments in ICMAI Registered Valuers Organization include 1 share of Rs. 10/- each not held in the name of the Institute but in the names of nominees of The Institute of Cost Accountants of India.
- l) Amount of Rs. 36,35,000/- released during the FY 2020-21 is still lying as “Advance for Pune Building” under the head “Loans & Advances” due to pending land transfer in the name of Head Quarter.
- m) An amount of Rs. 50,50,000 /- has been written back during the year in respect of excess provision made towards liabilities, which are no longer considered payable. The write-back has been recognized as “Other Income” in the Statement of Income and Expenditure for the year.
- n) Physical verification of movable fixed assets was carried out for the financial year 2023-24. Based on the verification report, damaged/obsolete assets amounting to Rs 7,20,762/- were identified. Accordingly, the said assets have been written off in the books of account during the year.
- o) An amount of 43,24,383/- has been written back during the year in respect of sundry creditor balances that had been outstanding in the books for a considerable period and are now considered no longer payable by the management.
- p) An amount of Rs. 78,66,556/- has been provided in the books on account of deficit and diminution in the value of investments pertaining to the Institute of Cost Accountants of India Employees’ Provident Fund (Trust), based on the audited accounts of the Trust for the financial year 2024-25.
- q) Based on the available information with the Institute as at 31<sup>st</sup> March, 2025, there is no amount including Interest thereon payable to Micro Enterprises and small Enterprises as defined under “The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006”, as amended.

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

**3. In respect of EIRC**

- a) As per Actuarial valuation of group gratuity scheme by LIC vide receipt no. 3622 dated 1<sup>st</sup> July, 2024, EIRC has paid Rs. 2,27,797/- to the Group Gratuity Scheme maintained by LIC during the year. Gratuity Investment of EIRC is maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC) and the balance as on 31<sup>st</sup> March, 2025 is Rs. 23,64,062/- as reflected to the certificate issued by LIC.
- b) Balance of sundry debtors worth Rs. 32,72,100/- is unconfirmed as no balance confirmation certificates were taken at the year end.
- c) In TDS Receivable amount balance of Rs. 7,17,990/- (previous year – Rs. 4,14,918/-) is appearing as on 31<sup>st</sup> March, 2025. This would be thoroughly reconciled with reference to the physical TDS certificates as well as deposits to the department in the name of the Institute from Income Tax Portal.
- d) Sundry creditors amounting to Rs. 2,80,687/- is being unclaimed for more than 3 years.

**4. In respect of WIRC**

- a) Claims receivable from FDAPL of Rs 67,30,000/- as appearing in Current Assets and Deferred Expenses of Rs. 15,69,507/- as appearing in Loans, Advances & Deposits are subject to litigation.
- b) An amount of provisions for recoverable of Rs 4,20,707/- – Current Liabilities to be written back on being approved by the AGM since not payable. Similarly, the same amount is incorporated in the HQ Account as receivable which also needs to be written off subject to approval by the AGM.

**5. In respect of NIRC**

- a) An amount of Rs. 4.55 lakhs is lying as on 31st March, 2025 in the books of the region being current account balances with the Chapters which is yet to be reconciled. NIRC is in the process of the reconciliation of the same and the differences being very old shall be adjusted/accounted for in the Current year if not able to reconcile.
- b) Other loans to Chapters of NIRC- An amount of Rs. 34.87 lakhs loan has been given to various Chapters under NIRC. An amount of Rs. 9.87 lakhs is lying as on 31st March, 2025 in the books of the region being other loan to Chapters which is yet to be reconciled. The said differences identified are under reconciliation by NIRC and will be adjusted in the current year.
- c) The NIRC has the outstanding TDS demand of Rs. 60,580/-. These demands are more than 15 years old and not traceable, are being manually dealt with and will be discussed in the next RCM for its conclusion.



**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

d) Statutory Dues

- i. EPFO payable outstanding for FY 2023-24 includes Rs. 1,62,244 payable to EPFO as arrears and penalty u/s 7A vide letter DLCPM/17428/comp-II/3 dated 17<sup>th</sup> April, 2023, which is in the process of reconciliation in the current year.
  - ii. In the 'Employer Contribution to EDLI Payable' account, the opening balance as per the books of NIRC is Rs. 6,910/-. However, as on 9<sup>th</sup> April, 2024, the balance reflected is Rs. 1,846/-, resulting in a difference of Rs. 5,064/-.
  - iii. In the 'EDLI Inspection Charges payable' account, the opening balance as per the books of NIRC is Rs. 4,107/-. However, as on 9<sup>th</sup> April, 2024, the balance reflected is Rs. 725, resulting in a difference of Rs. 3,382/-.
- e) The management is in the process of preparing the Fixed Assets Register. Physical Verification of Fixed Assets has been conducted during the FY 2023-24 and shall be again conducted in the next accounting year.
- f) The basis for the amount shown under 'Accrued Income' of Rs. 30,39,200/- under Current Assets as on 31st March, 2025.

**6. In respect of Cochin Chapter**

Contingent Liability

- a) During the Financial Year 2018-2019 there was a Sub Court order against the Institute. These cases were filed by the neighbors of CFE claiming damage to their building due to the construction carried out by the CFE. The decreed amount is Rs.19,38,785/- comprising of Rs. 13,00,000/- for compensation and Rs. 6,38,755/- towards interest. Chapter filed an appeal against this order with District court of Ernakulum along with the appeal, a stay petition was also moved and the District Court, Ernakulum was pleased to stay the operation of the decree on a condition that the chapter will furnish a bank guarantee to cover compensation and interest. Accordingly, two BGs for a sum of Rs. 15,00,000/- towards compensation and Rs.5,43,885/- towards updated interest were issued and submitted to Court. The District Court has upheld the verdict of the lower court and hence the Institute has decided to go for appeal in the Honorable High court of Kerala. The case has now been handed over to the HQ as per directives from HQ and case is handled by advocates empaneled by the HQ. The HQ has begun appeal proceedings. As the appeal is only in the primary stage, the final outcome cannot be predicted with any significant probability. The bank guarantee stands as per the directive of the lower courts. Hence, no provision for contingent liabilities is being made at this stage.
- b) In case of works contracts awarded by the Chapter for the Constructions of Building at Chalikkavattom, Gramina Vayanasala Road, Vytilla, Ernakulam, awardee is responsible for deduction of tax for those works contract involves both supply of materials and the labour. Cochin chapter is liable to deduct and pay the works contract tax from the contractors

**THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**  
**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTD.)**

**Note – 20**

before the payment is made to them unless a certificate in form No. 1EE is collected from respective contractors. In the case of work contracts amounting to Rs. 75,80,762/- the Form 1EE is not obtained. The works contract tax liability on the above will be Rs. 6,06,461/- plus the interest. The Chapter has not taken WCT registration, as all contractors are registered with the tax department, and have agreed to submit Form 1EE. The Chapter has retained an amount of Rs. 4,67,057/- which will be released to contractors only after the liabilities in relation for 1EE have been fulfilled.

**7. In respect of Bhubaneswar Chapter**

- a) Provision for leave encashment had been made amounting to Rs. 3,52,760/- up to 31st March, 2024 by the Chapter in the FY 2023-24. However, the Head Office had taken Rs. 7,82,356/- for the period. The differential amount of Rs. 4,29,596/- is being treated as prior period expenses during the FY 2024-25.
8. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of financial statements.
9. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's classification/disclosure.

**Signatures to Notes 1 to 20**

CMA Soma Banerjee  
Additional Director -Finance

CMA Dr. Debaprosanna Nandy  
Secretary (Officiating)

CMA TCA Srinivasa Prasad  
Vice President

CMA Bibhuti Bhusan Nayak  
President

Place :

Date: